निदर्शिका

[CALENDER]

[भाग - १]

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

राष्ट्रपति अधिनियम सं. १०, सन् १९७३

[अद्यतन संशोधित]

१६ दिसम्बर, १९७४ से प्रवृत्त



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, VARANASI

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

SAMPURNANAND SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA, VARANASI

निर्दशिका

CALENDER

[भाग- १]



उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

राष्ट्रपति अधिनियम सं. १०, सन् १९७३

१६ दिसम्बर, १९७४ से प्रवृत्त

५ सितम्बर, २००५

मूल्य : ८०.००

प्रकाशक —

डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी

निदेशक, प्रकाशन-संस्थान

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी-२२१००२

❐

प्राप्ति-स्थान—

विक्रय-विभाग,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी-२२१००२

❐

संशोधित संस्करण – २००० प्रतियाँ

मूल्य – ८०.०० रूपये

❐

मुद्रक —

श्रीजी प्रिण्टर्स

नाटी इमली, वाराणसी-२२१००१

कुलगीतम्

समुद्यत्सहस्रांशुमाणिक्यपुञ्जप्रभाभासुरं ज्योतिरन्तःश्रुतीनाम्।
दधानो जगन्मण्डले जागरूकः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।१।।

क्वणत्कच्छपीमञ्जुनादैरमुष्मिन् मुहुर्व्यञ्जयन्ती रहस्यानि वाचाम्।
चिराद् भारती भारतीयान् पुनीते सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।२।।

कृपापाङ्गपूतः शशाङ्कार्धमौलेः प्रसिद्धिं गतः प्राक्तनैः पण्डितेन्द्रैः।
यशोमौक्तिकैर्मण्डयन् दिग्वधूटीः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।३।।

अशेषासु विद्यासु लब्धाधिकारा धियं यत्र शिष्याः समुद्योतयन्ति।
कवीन्द्रैरुपास्यः कलामञ्जुलास्यः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।४।।

नवज्ञानविज्ञानविद्याप्रयोगैः समुद्योतयन्नूतनोन्मेषदेशान्।
विशेषानशेषासु भाषासु चिन्वन् सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।५।।

समुज्जीवयन् बोधिसत्त्वावदानप्रदानैर्दिगन्तान् महावीरवाग्भिः।
किरन् शाङ्करीं वाग्झरीं चित्तभूमौ सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।६।।

जगद्वन्द्यविद्वत्प्रणीताननन्तान् प्रबन्धान् सरस्वत्यलङ्कारहारान्।
हृदब्जे वहन् भारतज्ञानदीपः सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।७।।

इहोदारशास्त्रार्थसम्पूर्णताश्रीरिह स्यन्दते सूक्तिधारा कवीनाम्।
इहैव स्थिता भावना भारतीया सदा विश्वविद्यालयोऽयं विभाति।।८।।



ওঁ

प्रस्तावना

मनुष्य-समाज के विकास के दैवी सिद्धान्त को यदि हम सर्वमान्य मानक के रूप में स्वीकार करें, तो सौन्दर्य-शास्त्र एवं नीतिशास्त्र दोनों ही ईश्वरीय देन हैं। इसके विपरीत यदि क्रम-विकास एवं विवर्तनवाद को मानव-विकास का सूत्रधार मानें, तो जिस दिन आदिम समाज एकल व्यक्तियों के स्वतन्त्र अस्तित्व से समूह में उत्तीर्ण एवं संक्रमित हुआ, उसी सर्जन-लग्न से स्वत: जन्म लिये विधि और निषेध।

विधि और निषेध का मूलमन्त्र ही **'बहुजनहिताय बहुजनसुखाय'** है। सर्व का सार्वभौम बोध ही विधि-निषेध के नीतिशास्त्र का प्राण है। भारत में कई सहस्त्र वर्षों से इसी परिकल्पना का पुनर्विन्यास, संशोधन एवं परिष्करण हुआ। प्राशासनिक सेवा में निहित स्वार्थों द्वारा विधि का उल्लंघन न हो, व्यक्तिगत अज्ञान से भी विधि का शासन कुण्ठित न हो, सम्भवत: इसी आदर्श से प्रेरित होकर एवं बहुचिन्तित परिणामस्वरूप सन् १९७३ ई. में अस्तित्व में आया —**'उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३**।

उक्त अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात् तीन दशक से अधिक काल व्यतीत हो चुका है। इसका विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशन सन् १९९० में हुआ था। विगत १५ वर्षों में इसका पुनर्मुद्रण इस विश्वविद्यालय द्वारा नहीं हुआ। जबकि इस अवधि में अनेकानेक संशोधन, कई धारा-उपधाराओं का संयोजन, कई धारा-उपाधारा, उनके शब्दों एवं वाक्यों का स्थगन भी हुआ है। अत: अद्यावधिक संशोधन सहित उक्त अधिनियम का एक परिष्कृत एवं परिवर्द्धित नवीन संस्करण अत्यावश्यक था। विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों, सम्बद्ध एवं सहयोगी महाविद्यालयों के प्रबन्धतन्त्र और अध्यापकों द्वारा प्रतिदिन इसकी माँग की जा रही थी। यह कार्य अत्यन्त कठिन एवं दुरूह था, तथापि निष्पादित किया जाना इसलिए सम्भव हुआ; क्योंकि यह एक चरम समयोचित आवश्यकता थी।

इसी चरम आवश्यकता का प्रभाव एवं दबाव झेलते हुए मैंने कुलपति का कार्यभार ग्रहण करते ही एक उप-समिति का गठन किया, जिसमें वित्त-

अधिकारी **श्रीमती गीतिकना सुर**, कुलसचिव **श्री विद्याधर त्रिपाठी** तथा **डॉ. हरिश्चन्द्र मणि त्रिपाठी**, निदेशक, प्रकाशन-संस्थान को संयोजक बनाते हुए इसके शुद्धतम प्रकाशन का भार समिति को सौंपा। समिति के तीनों सदस्यों ने गम्भीरता एवं शालीनतापूर्वक इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए सक्रिय कार्यकर्त्ताओं एवं सहयोगियों—इस विश्वविद्यालय के पूर्व आन्तरिक वरिष्ठ-लेखा-परीक्षक **श्री अशोककान्ति चक्रवर्ती**, सामान्य प्रशासन के वरिष्ठ सहायक **श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'श्री चन्दू जी'**, प्रकाशन-संस्थान के वरिष्ठ ईक्ष्यशोधक **डॉ. हरिवंश कुमार पाण्डेय**, संस्थान के सहायक सम्पादक **डॉ. ददन उपाध्याय** एवं संस्थान के ही प्रकाशन-सहायक **श्री कन्हई सिंह कुशवाहा** आदि—को साथ लेकर अधिनियम को प्रकाशन के परिणाम तक पहुँचाया। एतदर्थ मैं इन सभी सहयोगियों को साधुवाद के साथ ही साथ शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ।

मैं अवश्य ही प्रशंसा करना चाहता हूँ, मुद्रक संस्था **'मे. श्रीजी प्रिण्टर्स'** एवं उसके सञ्चालक **श्री अनूप कुमार नागर** की, जिन्होंने शीघ्रतापूर्वक इस संस्करण का इतना परिष्कृत मुद्रण-कार्य किया है।

यह संस्करण न केवल बृहत्तर पाठकवर्ग को आलोकित करेगा, अपितु दूसरों की आवश्यकताओं को स्वीकृति देने में भी अत्यन्त सहायक होगा; क्योंकि अधिनियम से अधिक आवश्यक है, अधिनियम-बोध एवं ज्ञान। यहीं मैं पाठक-महानुभावों को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय का **'परिनियम'** अक्टूबर, २००५ के अन्त तक आपके कर-कमलों में होगा।

अशोककुमार कालिया

वाराणसी
मातृनवमी,
वि.सं. २०६२
(२६.९.२००५ ई.)

(प्रो. अशोक कुमार कालिया)
कुलपति
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

अनुक्रमणिका

अध्याय–४-क
समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

अध्याय–५
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

अध्याय–६

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्याय–७

सम्बद्धता तथा मान्यता

अध्याय—८
प्रवेश तथा परीक्षायें

अध्याय—९
परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

अध्याय—१०
वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

अध्याय—११
उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

अध्याय–११ क
उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

अध्याय–१२
शास्तियाँ और प्रक्रिया

अध्याय–१३
प्रकीर्ण

अध्याय–१४
संक्रमणकालीन उपबन्ध



उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १० सन् १९७३)

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए

अधिनियम

निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय-१

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ है।

(२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति-निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त हुआ है।

(३) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा) को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार [१]समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी,. जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हैं।

(४) (क) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ

---

१. अधिनियम संख्या २, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों।

[1](ख)

परिभाषाएँ

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'विद्यापरिषद्' 'सभा' और 'कार्यपरिषद्' से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद्, सभा और कार्यपरिषद् अभिप्रेत हैं;

(२) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों;

(३) 'विश्वविद्यालय का क्षेत्र' से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यथास्थिति, धारा ५ या धारा ४ द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(४) 'सहयुक्त महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और [2]इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हो;

(५) 'स्वायत्त महाविद्यालय' से कोई ऐसा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा ४२ के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय;

[3](५क) पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ (उ.प्र. अध्यादेश संख्या १२, सन् १९९४) द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम १९९४ में है;

[१](५ख) 'केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य धारा १८-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड से है;

(६) 'घटक महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, और परिनियमों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;

[२](६क) 'समन्वय परिषद्' का तात्पर्य धारा १८-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से है;

(७) 'निदेशक' से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(८) 'वर्तमान विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय [३](जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से डाक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा कहा जायेगा), गोरखपुर विश्वविद्यालय [४][जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा], कानपुर विश्वविद्यालय [५][जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से श्री शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा] या मेरठ विश्वविद्यालय [६](जो कि १७ जनवरी १९९४ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा) या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ जैसा मामला या सन्दर्भ हो;

१,२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश १९९५] द्वारा बढ़ाया गया।

३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४. सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

४. उ.प्र. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा बढ़ाया गया।

५. उ.प्र. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ से प्रतिस्थापित।

६. उ.प्र. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।

(९) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

[१](९क) 'आधारभूत पाठ्यक्रम' का तात्पर्य स्वयं के और अधिक बोध और सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के पाठ्यक्रम से है;

(१०) 'विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)' से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो;

(११) 'विश्वविद्यालय का छात्रावास' से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा 'सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास' से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(१२) 'संस्थान' से धारा ४४ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(१३) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' से ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

[२]परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में पद 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य, यथास्थित, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षासमिति से है, और पद 'प्रबन्धतन्त्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

(१४) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

---

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश १९९५] द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया।

(१५) 'प्राचार्य' से किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(१६) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(१७) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(१८) [१]'स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(१९) [२]अध्याय ग्यारह-क के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विश्वविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(२०) 'विश्वविद्यालय' से कोई विद्यमान विश्वविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा ४ के अधीन स्थापित कोई नया विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(२१) 'श्रमजीवी-महाविद्यालय' से धारा ४३ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है।



१,२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय- २

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का निगमन

३. (१) किसी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति से तथा कार्यपरिषद्, सभा और विद्यापरिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(२) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा. और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा अपने नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना और विश्व-विद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन

४. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमि॰ नियत करे, अनुसूची में क्रमश: विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये नैनीताल में कुमायूँ विश्वविद्यालय और श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(१-क) [१]ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे—

(क) झाँसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय [२][जिसे १८ जून, १९९४ से डाक्टर राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा ११ जुलाई, १९९५ से डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा।]

(ग) बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय [३][जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९७ के

---

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ से प्रतिस्थापित।

३. उ.प्र. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा बढ़ाया गया।

प्रारम्भ की तिथि से महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा।]

(घ) [1][पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम से जाना जायेगा।]

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये स्थापित किये जायेंगे।

(१-ख) उपधारा (१-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी, और ऐसे विश्वविद्यालय के लिये ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) [2]खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य [3]३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

''यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक काल तक के लिए बढ़ा सकती है।''

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी, कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

---

१. उ.प्र. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा बढ़ाया गया

२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।

(२) वाराणसी में काशीविद्यापीठ नामक संस्था को [१](जिसे दिनाङ्क ११ जुलाई, १९९५ से महात्मा गाँधी काशीविद्यापीठ कहा जायेगा) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय उस तारीख से समझा जायेगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त, नियत करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियत तारीख से—

(i) काशीविद्यापीठ, वाराणसी नामक सोसायटी विघटित हो जायेगी, और सोसायटी के सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति और अधिकार, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे, और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जिनके लिये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(ii) उक्त सोसायटी के सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएँ विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे, और तत्पश्चात् उनके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्ट किये जायेंगे;

(iii) किसी अधिनियमिति में उक्त सोसायटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा, मानों वे विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश हों;

(iv) किसी बिल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसायटी के पक्ष में कोई वसीयत, दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा, मानो उसमें ऐसी सोसायटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम हो;

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त तारीख के ठीक पूर्व उक्त सोसायटी में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उक्त तारीख से उसी अवधि के लिए और सेवा की उन्हीं शर्तों, अथवा तत्सदृश शर्तों पर, जो परिवर्तित परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, विश्वविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायेगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किए जाने पर उक्त सोसायटी के अन्तर्गत होता।

---

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

(४) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ख) किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना, सिवाय राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के जारी नहीं की जायेगी।

(५) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का संशोधन करने के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे, जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों, और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।

(६) उपधारा (५) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपबन्ध, क़िन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबन्ध जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा ५ के प्रयोजनों के लिए 'काशीविद्यापीठ' से वाराणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था अभिप्रेत १८६० का २१

है, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत काशीविद्यापीठ नामक सोसायटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसायटी की निरीक्षक सभा ने २८ मई, १९७२ को यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था की सम्पूर्ण जंगम और स्थावर संपत्तियों को ग्रहण कर ले और उसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे।

क्तियों का राज्य क्षेत्र में प्रयोग

५. (१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ से भिन्न) प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(२) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा :

परन्तु विश्वविद्यालय सम्बद्ध सरकार की सिफारिश के बिना—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं प्रदान करेगा।

(३) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता से सम्बद्ध इस अधिनियम की कोई बात काशी विद्यापीठ पर लागू न होगी।

(४) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली में शिक्षण देने तथा अनुसन्धान कार्य करने और

उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार करने के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।

[1]परन्तु आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो २ मार्च, १९७२ के ठीक पूर्व वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का अंग था और जिसका प्रबन्ध तथा नियन्त्रण उक्त दिनांक से और तत्पश्चात् पाँच वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो गया था, तब तक जब तक कि धारा ७४ की उपधारा (४) प्रवृत्त रहे, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय समझा जायेगा।

[2](५) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थायें डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा या क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध की जा सकती हैं।

[3][(६) धारा ३७ के उपधारा (१) में निहित तथ्यों के बावजूद उ.प्र. में कहीं भी इञ्जीनियरिंग प्रौद्योगिकी या प्रबन्धन तथा भारतीय चिकित्सा सम्बन्धी प्रमाणपत्र अधिनियम १९१६ में दी गई परिभाषा के अनुसार पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा या निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित संस्थाएँ या स्थापना के लिए प्रस्तावित संस्थाएँ राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश या निर्देश के अन्तर्गत आयेंगी और किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो सकती हैं।]

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

६. विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा, भले ही ये किसी वर्ग या मत के हों, किन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में अध्यादेशों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध बनाना मना है।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११, दिसम्बर १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १४, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, अर्थात्—

*[1](१) संस्कृत, पाली तथा प्राकृतविद्या तथा अन्य सम्बद्ध विषयों, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद भी है, में शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसन्धान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से ही, यथास्थिति, सम्बद्ध या मान्यता-प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना अथवा उसमें कमी करना और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्ग-दर्शन करना तथा उनके कार्य का नियन्त्रण करना;

(३) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को संस्थित करना;

(४) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं सम्प्रदान करना—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अथवा किसी सहयुक्त कालेज से किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में, या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त मान्यता-प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रूप से, परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन अनुसन्धान कार्य किया हो; या

(ग) जिन्होंने पत्राचार द्वारा, चाहे विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या उसके बाहर निवास करके, किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन

---

*(१) ऐसे विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय ठीक समझे, तथा अनुसन्धान-कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

किया हो, और जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित की जायें, वाहक अभ्यर्थियों के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किये गये हों; या

*[1](घ) जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(ङ) जो विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाली महिलायें हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

(च) जो नेत्रहीन हों और विश्वविद्यालय क्षेत्र में निवास करते हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो;

*[2](५) सरस्वतीभवन पुस्तकालय का अनुरक्षण करना;

(६) परिनियमों में अधिकथित रीति तथा शर्तों के अधीन सम्मानित उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टतायें प्रदान करना;

(७) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमा देना और उनके लिये ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय अवधारित करे;

---

*(घ) जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या किसी घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक या अन्य कर्मचारी हों अथवा राज्य सरकार के शिक्षाविभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण अधिकारी हों, और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया हो; या

*(५) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये, जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किये हों, परीक्षायें लेना और उन्हें बेचलर ऑफ आर्ट्स या कामर्स अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स या कामर्स की उपाधि प्रदान करना[1]।

१,२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(८) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(९) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन-पदों को संस्थित करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

*[१](१०) संस्कृत तथा सम्बद्ध विषयों के साहित्य की ग्रन्थ-सूची रखना तथा अनुसन्धान कार्यों को प्रकाशित करना;

(११) महाविद्यालयों की सम्बद्धता या मान्यता सम्बन्धी शर्तें अधिकथित करना और समय-समय पर निरीक्षणों द्वारा या अन्यथा अपना यह समाधान करना कि ऐसी शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(१२) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों (जिनके अन्तर्गत यात्रिक अधिछात्रवृत्तियाँ भी हैं), विद्यावृत्तियों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(१३) छात्र-निवासों तथा छात्रावासों को संस्थित तथा पोषित करना और विश्वविद्यालय, संस्थानों या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना;

(१४) ऐसी फीस और अन्य प्रभार माँगना तथा प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जाँय;

(१५) विश्वविद्यालय, संस्थान तथा घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना, उनके स्वास्थ्य सुधार के लिये व्यवस्था करना;

(१६) प्रशासकीय, लिपिक-वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना; तथा

---

*(१०) छात्र निवास में शिक्षण देने के लिए अध्यापकों को मान्यता देना।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(१७) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित ऐसे सभी कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

कुछ विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्त्तव्य

[1]**१७क.** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार दिये जाने पर यथास्थिति डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा या क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर—

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएँ लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निदेश में उक्त अधिनियम के अधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

●

---

१. अधिनियम संख्या १४; सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय- ३

निरीक्षण तथा जाँच

परिदर्शन

८. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप से सुनवाई का अधिकार होगा।

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त हैं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५

और ३४६ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा[१] और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी, और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद् को संसूचित करेगा।

(५) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(६) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें, तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(७) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (१) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (५) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (६) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(८) उपधारा (६) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति की, उपधारा (७) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जाँच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्यपरिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद् को अतिष्ठित करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे, जिसके अन्तर्गत अतिष्ठित कार्यपरिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा ११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(९) उपधारा (८) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद् की संरचना पर धारा २० की कोई बात लागू न होगी।

(१०) उपधारा (८) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिष्ठित कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(११) उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) धारा २० की उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित समझी जायेगी—

"(६) कार्यपरिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।";

(ख) धारा २१ की उपधारा (१) में "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्दों के पश्चात्, "तथा कुलाधिपति के भी नियन्त्रणाधीन रहते हुए" शब्द अन्तःस्थापित समझे जायेंगे।

(ग) धारा २४ की उपधारा (२) में, "और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

(१२) उपधारा (८) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जायेगी।

(१३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा कि वे उपधारा (११) के उपबन्धों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश, विनियम या किया गया आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाए।

●

अध्याय-४

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(क) कुलाधिपति;

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में प्रतिकुलाधिपति;

(ग) कुलपति;

(घ) धारा १४ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रतिकुलपति;

(ङ) वित्त अधिकारी,

(च) कुलसचिव;

[१](च च) परीक्षा नियन्त्रक, यदि कोई नियुक्त हो;

*[२](छ) संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों;

(ज) छात्र-कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

१०. (१) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो, तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

---

*(छ) सङ्कायों के सङ्कायाध्यक्ष।

---

१. अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(२) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(३) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन-कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति माँगे, प्रस्तुत करे।

(४) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

११. (१) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति-कुलाधिपति आजीवन बने रहेंगे। प्रति-कुलाधिपति

(२) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलाधिपति सभा के अधिवेशनों का तथा विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त-समारोह का सभापतित्व करेगा।

(३) प्रति-कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायें।

१२. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (५) या उपधारा (१०) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों। कुलपति

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) [१]कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा छात्र-निवास

---

१. अधिनियम संख्यां ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्यपरिषद् द्वारा किया जाना है;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा ;

[१]परन्तु जहाँ कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्यपरिषद् के प्रतिनिधि के बदले में नाम निर्दिष्ट करेंगे;

(३) उपधारा (७) के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व, और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये, और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टिताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(४) जहाँ कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो, तो वह समिति से उपधारा (३) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(५) यदि समिति उपधारा (३) या उपधारा (४) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है[१]; या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामवालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा, जो उपधारा (३) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी।

(६) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(७) कुलपति अपने पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा।

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(८) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(९) कुलपति धारा ३३ के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्यनिधि के फायदे का हकदार न होगा।

[२]परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय, तो उसे उस भविष्यनिधि में जिसका वह

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या २, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।

(१०) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एकमात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा—

(क) जहाँ कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पदत्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (१) से (५) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात में :

परंन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेगा, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(११) जब तक कि उपधारा (१) या उपधारा (५) या उपधारा (१०) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न सँभाल ले, तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति-कुलपति न हो, गोरखपुर और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा धारा ३८ में उल्लिखित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, या किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में, सम्बद्ध महाविद्यालय का ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

[१][(१२) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझ कर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इंकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(१३) उपधारा (१२) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए, कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाय—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी, जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (८) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।]

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

१३. (१) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और—

(क) विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय तथा संस्थान भी हैं और उससे सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

---

१. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।

[१](ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या-सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(२) वह कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा वित्त-समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(३) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(४) कुलपति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे [२]और धारा १० तथा ६८ के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(५) कुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, विद्यापरिषद् तथा वित्त-समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी—

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(६) जहाँ [3][विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न] ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ द्वारा बढ़ाया गया।

वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा, जो साधारण क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(७) उपधारा (६) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए संशक्त नहीं समझा जायेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(८) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (६) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी [१]की नियुक्ति की गई

---

१. 'या अध्यापक' अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ [उ.प्र. राज्य वि.वि. (संशोधन) अधिनियम १९९२] द्वारा हटाया गया।

हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रूप से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(९) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रति-कुलपति

१४. (१) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों को और किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय को लागू होती है, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(२) यदि कुलपति आवश्यक समझे, तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्त्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(४) प्रति-कुलपति कुलपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

(५) प्रति-कुलपति को तीन सौ रूपये प्रति मास मानदेय मिलेगा।

(६) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा, जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जिन्हें कुलपति उसे सौंपे तथा प्रत्यायोजित करे।

वित्त अधिकारी

१५. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी तथा उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(२) वित्त अधिकारी, सभा के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय

की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(३) उसे कार्यपरिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(४) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है।

(५) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उसकी राय में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(६) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(७) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ तथा कृत्य वे होंगे, जो विहित किये जाँय।

१६. (१) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुलसचिव

(२) धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी और उसकी सेवा की शर्तें उनके अधीन होंगी।

(३) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(४) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद्, सभा, विद्यापरिषद्, प्रवेश-समिति [१][× × × ×] तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा तथा वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उनके कार्य-सम्पादन के लिये आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाँय या कार्यपरिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर, मत देने का हकदार न होगा।

(५) *[× × × ×]

(६) कुलसचिव को धारा १७ के अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

परीक्षा नियन्त्रक

****१६क.** (१) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालयों को और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों को लागू होती है, जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(२) परीक्षा नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

---

१. अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा 'और परीक्षा समिति' निकाल दिया गया।

* उपधारा (५) अधिनियम सं १४, सन् १९९५ द्वारा निकाल दिया गया।

** धारा १६-क अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(४) परीक्षा नियन्त्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जाँय या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(५) परीक्षा नियन्त्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेगा और इस सम्बन्ध में उसे कुलसचिव की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(६) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियन्त्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(७) परीक्षा नियन्त्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(८) यदि कभी परीक्षा नियन्त्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियन्त्रक का पद रिक्त हो, तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियन्त्रक के पुन: कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में कुलसचिव का कर्त्तव्य

*१६ख. जिन विश्वविद्यालयों को धारा १६-क के उपबन्ध लागू नहीं हैं, उनमें परीक्षा नियन्त्रक के कर्त्तव्यों का पालन कुलसचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसे विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इस अधिनिमय के प्रयोजनों के लिए कुलसचिव को परीक्षा नियन्त्रक समझा जायेगा।

कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की सेवा का केन्द्रीयकरण

१७. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाकर कुलसचिवों, उप-कुलसचिवों तथा सहायक कुलसचिवों की एक ऐसी पृथक् सेवा के सृजन का उपबन्ध करेगी, जो समस्त विश्वविद्यालयों के लिये सामान्य होगी तथा ऐसी किसी सेवा में भर्ती को तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करेगी :

[१]परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई नियम पूर्वगामी तारीख से, जो ३१ अक्टूबर, १९७५ से पूर्व न हो, बनाया जा सकता है।

(२) जब ऐसी कोई सेवा सृजित की जाय, तो [२]कुलसचिव, उप-कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव के प्रशासनिक पदों पर तत्समय सेवारत सभी व्यक्ति जो यदि तारीख १४ मई, १९७३ से पूर्व स्थायी किये जा चुके हों, तो उक्त सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित कर लिये जायेंगे तथा उक्त पदों पर तत्समय सेवा करने वाले अन्य व्यक्ति यदि उपयुक्त पाए जाँय, तो उक्त सेवा में अस्थायी या अन्तिम रूप से आमेलित किये जा सकेंगे और यदि पश्चाद्वर्ती व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अन्तिम रूप से उक्त सेवा में आमेलित नहीं किया जाता, तो उसकी सेवायें एक मास का वेतन प्रतिकर के रूप में संदत्त किये जाने पर समाप्त समझी जायेंगी।

(३) जहाँ उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सेवा में आमेलित किया जाय तो उसे लागू होने वाली सेवा की शर्तें, उसके

---

* धारा १६-ख अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

१ अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

आमेलित किये जाने के पूर्व उस पर लागू शर्तों से, सिवाय इसके कि उसका एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकेगा, कम लाभकारी न होंगी।

[१]परन्तु सेवा में इस प्रकार के आमेलन से ऐसे आमेलन की तारीख के पूर्व किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आनुशासनिक कार्यवाही करने या जारी रखने के लिए कोई रोक नहीं होगी।

(४) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कम से कम तीस दिन की कुल कालावधि के लिये जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे उपान्तरों या निष्प्रभावीकरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हो जायें, किन्तु ऐसे उपान्तरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

१८. कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी तथा कुलसचिव से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियाँ होंगी, जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें। अन्य अधिकारी

●

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-४-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

समन्वय परिषद्

१८क.[१] (१) एक समन्वय परिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा और उसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(दो) उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) राज्य सरकार के न्याय विभाग का सचिव;

(चार) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(पाँच) राज्यपाल का सचिव;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव, जो समन्वय परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये समन्वय परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) स्नातक उपाधि के लिये अध्यापन के सामान्य पाठ्यक्रम की सिफारिश करना;

(ख) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिये या प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के उपायों और साधनों की सिफारिश करना;

---

१. अध्याय-४क राष्ट्रपति अधिनियम सं. ४, सन् १९९६ (उ.प्र. अध्यादेश सं. २८, सन् १९९५) द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) विश्वविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना और सिफारिश करना।

(३) समन्वय परिषद् की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर, जैसा कुलाधिपति विनिश्चय करें, होगी।

केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड

१८ख. (१) आधारभूत पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए, जिन्हें कुलाधिपति समन्वय परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित करें; केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होगा।

(२) आधारभूत पाठ्यक्रम के केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रत्येक विश्वविद्यालय के उपाचार्य के अनिम्न पद का एक अध्यापक या सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय का प्राचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(दो) पाँच शिक्षाविद् को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित आचार्यों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(३) अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड का संयोजक :

परन्तु यह कि यदि किसी विश्वविद्यालय में विषय या विषयों के समूह में अध्ययन बोर्ड न हो, तो कुलपति विश्वविद्यालय में उपाचार्य के स्तर से अनिम्न किसी अध्यापक या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय के प्राचार्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है;

(दो) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातक स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) विषय के तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित अध्यापकों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; और

(पाँच) राज्य के बाहर से विषय के दो अन्य विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।

(४) कुलाधिपति केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे—

(i) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए उपधारा २ के खण्ड (एक) में दिये सदस्यों के नाम से तथा;

(ii) अन्य विषय या विषयों के समूह के लिए उपधारा ३ के खण्ड (एक) और (दो) में दिये गये नामों में से।

(५) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों के नाम-निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(६) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि उपधारा (५) में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी और सदस्यों की पदावधि केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगी।

परन्तु यह कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके पूर्ववर्ती की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(७) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन अध्ययन, और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों,

और शैक्षिक कैलेण्डर निर्धारित करना और स्नातक पूर्व-स्तर के लिये पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों की सिफारिश करना,

(ख) समन्वय परिषद् या कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना, और

(ग) इस अधिनियम के संगत ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन ऐसे समय के भीतर करना, जो कुलाधिपति के लिखित आदेश द्वारा सम्पादन करने की अपेक्षा की जाय।

(८) अपने कृत्यों का अनुपालन करने में केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड ऐसे विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकता है, जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(९) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस दिनांक से प्रवृत्त होंगी, जो कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(१०) कुलाधिपति किसी भी समय केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी विनिश्चय को इस आधार पर निलम्बित, उपान्तरित या संशोधित कर सकता है कि यह इस धारा में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है और विषय पर नये सिरे से विचार करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे सकता है।

१८ग. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, १९९५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवीय सहायता देगी। **सचिवीय सहायता**

अध्याय-५

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

१९. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(क) कार्यपरिषद्

(ख) सभा

(ग) विद्यापरिषद्

(घ) वित्त समिति,

*[1](ङ) संकायों के बोर्ड, यदि कोई हों,

(च) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियाँ

(छ) प्रवेश समिति,

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाँय।

कार्यपरिषद् का गठन

२०. (१) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से;

[2]परन्तु जब तक कि विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, दो संकायों के संकायाध्यक्षों के निर्देश को दो विभागों के विभागाध्यक्षों का निर्देश समझा जायेगा।

---

*(ङ) संकायों के बोर्ड।

१,२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

*(गग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;

*[१](घ) (१) प्रतिकुलपति से अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से भिन्न विश्वविद्यालय का एक आचार्य, एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है, और

(२) खण्ड (ञ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य तथा एक अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*[२](घघ)

*[३](ङ)

---

*[४](घ) कुमायूँ विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा, क्षत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के सन्दर्भ में—

(i) विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति या उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न एक आचार्य, एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा,

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा, और धारा ३७ की उपधारा (१) में उल्लिखित या उसके अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्थिति में सम्बद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य और चार अन्य अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा।

*(घ.घ) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के लिए।

*(ङ) धारा ३८ की उपधारा (१) में उल्लिखित या तदधीन अधिसूचित किसी विश्वविद्यालय की दशा में—

---

*(गग) अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या-२०, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

४. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९९ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हाल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलीगत न हों या की सेवा में न हों।

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति।

**(परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो)

[१](ज) उपशिक्षानिदेशक (संस्कृत) उत्तर प्रदेश, और

[२](झ) विश्वविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के निदेशक तथा पुस्तकाध्यक्ष आनुकल्पिक पदावधियों में, जिसमें प्रथम पदावधि में उक्त निदेशक पद धारण करेगा,

[३](ञ) धारा (५) उपधारा (४) के परन्तुक में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य।

*[४](२) उपधारा (१) के खण्ड (ग), (गग)[५] तथा (घ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी और उसके खण्ड

(i) विश्वविद्यालय के दो आचार्य [प्रतिकुलपति अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष से भिन्न], दो उपाचार्य, दो प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(ii) किसी सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य, जिसका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*[६](२) उपधारा (१) के खण्ड (ग), (ग ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष और उसके खण्ड (च) और (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

** अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा बढ़ाया गया।

१-३. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

५. अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

६. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) तथा (झ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (१) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन, कार्यपरिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिये सदस्य न होगा।

(४) उपाधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

[१]स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ पदस्नातक के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसने विश्वविद्यालय या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित शास्त्री परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(५) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र-निवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्त्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, 'नातेदार' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में परिभाषित नातेदारों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

कार्यपरिषद् की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

२१. (१) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य-निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियन्त्रण रखना,

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,

(iii) परिनियमों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना,

(iv) विशिष्ट परियोजनों के लिए विश्वविद्यालयों के व्ययनाधिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना,

(v) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, और उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना, और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,

(viii) [१]परीक्षकों की फीस, उपलब्धियाँ तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,

(ix) [२]धारा ३७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।

२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(x) संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र-निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निर्देश देना,

(xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना,

(xii) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना,

(xv) विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(२) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यपरिषद्, बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय राज्य सरकार

से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूत पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(३) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के [1]अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जाएगा।

[2](३क) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्यनिधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके।

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(४) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाँय।

(५) कार्यपरिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(६) विद्यापरिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यपरिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(७) कार्यपरिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(८) कार्यपरिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

२२. (१) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्— सभा

वर्ग १-पदेन सदस्य

(i) कुलाधिपति,

(ii) कार्यपरिषद् के सदस्य,

(iii) वित्त अधिकारी,

[1](iii क) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश।

वर्ग २-आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था।

वर्ग ३-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(v) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाँय।

सभा का अधिवेशन

२४. (१) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्यापरिषद्

२५. (१) विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्यानिकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्यपरिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाँय।

(२) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) कुलपति,

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों,

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों,

*[१](v) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान

*[२](vi) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(viii) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे।

[३]'परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या-परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े

---

*(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हों।

*(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हों) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में,जो विहित रीति में अवधारित की जायेगी, दो आचार्य।

१,२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

से विश्वविंद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूरी मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूत पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(३) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो. और सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के [१]अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जाएगा।

[२](३क) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्यनिधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके।

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(४) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाँय।

(५) कार्यपरिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(६) विद्यापरिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यपरिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(७) कार्यपरिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(८) कार्यपरिषद् परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

२२. (१) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्— सभा

वर्ग १-पदेन सदस्य

(i) कुलाधिपति,

(ii) कार्यपरिषद् के सदस्य,

(iii) वित्त अधिकारी,

[१](iii क) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश।

वर्ग २-आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था।

वर्ग ३-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

(v) विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

*[१](vi)

*[२](vii)

*[३](viii)

(ix) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

*[४](x)

वर्ग ४-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

*[५](xi) ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के, जिनके पास कम से कम आचार्य की उपाधि हो, दस प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा जो विहित की जाय, अपने में से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

---

*(vi) मेडिकल तथा इंजीनियरिंग संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कार्यपरिषद् के सदस्य न हों।

*(vii) विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालय तथा संस्थानों के छात्रावासों और छात्र-निवास के प्रोवोस्टों तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है।

*(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय के सभी प्राचार्य।

*(x) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध के दो प्रतिनिधि, जिनका चयन विहित रीति में चक्रानुक्रम से किया जाना है।

*(xi) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जो विहित की जाय, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय की सेवा में न हों अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास या छात्रावास की सेवा में अथवा उसके प्रबन्ध से सम्बद्ध न हों।

१-४. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

५. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

वर्ग ५-छात्रों का प्रतिनिधित्व

*[१](xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो :

परन्तु जब तक कि किसी संकाय का गठन न हो जाय, दो छात्र जो विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों, इस खण्ड के अधीन सभा के सदस्य होंगे।

[२]वर्ग ६

वर्ग ७-राज्य विधानमण्डल के प्रतिनिधि

(xiv) विधान-परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य,

(xv) विधान-सभा द्वारा निर्वाचित उसके पाँच सदस्य।

(२) उपधारा (१) में वर्णित सिवाय वर्ग १, २ और ५ के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उक्त वर्ग के ५ सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

सभा की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

२३. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपायों का सुझाव देना,

---

*(xii) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में, विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती उपाधि परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात्, विश्वविद्यालय में (जिसके अन्तर्गत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय भी हैं) किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि अथवा मेडिकल या इंजीनियरिंग उपाधि के शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाँय।

सभा का अधिवेशन

२४. (१) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अध्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

विद्यापरिषद्

२५. (१) विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्यानिकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्यपरिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जाँय।

(२) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) कुलपति,

(ii) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों,

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(iv) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों,

*[१](v) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान

*[२](vi) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(viii) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(ix) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

(x) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और

(xi) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे।

[३]'परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या-परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े

---

*(v) घटक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हों।

*(vi) प्रत्येक घटक महाविद्यालय से (यदि कोई हों) चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठता क्रम में,जो विहित रीति में अवधारित की जायेगी, दो आचार्य।

१,२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १ सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम-निर्दिष्ट करेगा।'

(३) धारा [१]६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

वित्त समिति

२६. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति,

[२](क क) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव,

(क क क) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) कुलसचिव,

[३](गग) परीक्षा नियन्त्रक,

(घ) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जो कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

[४](१क) उपधारा (१) के खण्ड (कक) या खण्ड (ककक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. (कक), (ककक) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

३. (गग) अधिनियम संख्या १४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

४. उपधारा (१-क) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(२) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आबद्धकर होगी।

(३) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाँय।

[१](४) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असमहत हो, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

२७. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किये जाँय। संकाय

(२) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जाँय और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाँय।

(३) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसकें अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्त्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जाँय।

---

१. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

*[1](४) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु यह कि किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की दशा में, ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य आयुर्वेद संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संकाय की दशा में जहाँ कोई आचार्य न हो, वहाँ संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से धारण किया जाएगा।

(५) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यों के संगठन तथा संचालन, तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

---

*(४) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

[2]परन्तु किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में महाविद्यालय का प्राचार्य, यथास्थिति मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक या ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि यदि एक से अधिक ऐसा महाविद्यालय हो, तो प्रत्येक ऐसे संकाय के संकायाध्यक्ष का पद ऐसे महाविद्यालयों के प्राचार्यों के बीच विहित रीति से चक्रानुक्रमित होगा।

[3]परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के उपाचार्यों द्वारा और यदि कोई उपाचार्य नहीं है, तो अन्य अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठताक्रम के अनुसार बारी-बारी से धारण किया जाएगा।

---

१. अधिसूचना दिनांक २, नवम्बर, १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

[1](६) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धों पर पद धारण किये रहेगा, जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(७) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य होंगे, जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाँय।

(८) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

२८. (१) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा। प्रवेश समिति

(२) प्रवेश समिति को उतनी उपसमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह ठीक समझे।

(३) विद्यापरिषद् के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप-समिति को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७४ तथा अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति [1](जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई निदेश दे सकेगी और ऐसे निदेश ऐसे महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

[2](५) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी—

[3](क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये, परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और इञ्जीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा, किन्तु १ जनवरी, १९७९ के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

[१](ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि कोई व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो वह तीन मास से अनधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रूपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा।

[२](५क) उपधारा (५) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे किसी उत्तर-प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

(६) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति की शक्ति होगी।

२९. (१) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जाएगी। परीक्षा समिति

(२) धारा ४२ की उपधारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या-परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् से सिफारिश करना,

---

१,२. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(३) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[1](४) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (३) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

अन्य प्राधिकारी

३०. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य वही होंगे, जो विहित किए जाँय।

●

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-६

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

३१. *[1](१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक एक चयन समिति की सिफारिश पर कार्यपरिषद् द्वारा एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक विहित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। (चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो)**।

(२) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति, जो उपधारा (३) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमत: एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा-समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं

---

*(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के अध्यापक और (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक यथास्थिति कार्यपरिषद् अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत् पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। **(चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो।)

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

**अधिनियम संख्या १, सन् १९९२ द्वारा बढ़ाया गया।

विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में, प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो) की रिपोर्टों पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे;

[१]परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा-समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय, तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी, जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा ३५ के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।

(३) *[२](क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो, और

---

*(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, कुलपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट विशेषज्ञ के परामर्श से प्रबन्ध समिति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किए बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिए स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी; किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना संभाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकते हैं; किन्तु किसी अन्य रिक्ति या पद, जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेंगे।

[१](ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय, या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव-सृजित हो जाय, वहाँ यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता, तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना, नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक, जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि-पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (२) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

[१](ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में ३१ दिसम्बर, १९९७ को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्यपरिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) ३१ दिसम्बर, १९९७ को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनाङ्क से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनाङ्क को प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखता हो;

(तीन) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनाङ्क को, जैसा कार्यपरिषद् विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।

(४) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में

१. अधिनियम संख्या २३, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उसका पद विभाग में आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा;

[1]परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें;

(iii) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे,

*[2](iv)

(v) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

*[3](ग)

---

*(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी स्कीम के अधीन क्रमोन्नत घटक मेडिकल महाविद्यालय के किसी विभाग के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का एक-एक नाम निर्देशिती।

*(ग) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११, दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

*[1](घ)

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

[2](ii) उन' संकायों के, जिनसे सम्बद्ध विषय महाविद्यालय मे पढ़ाये जाते हों, संकायाध्यक्षों अथवा आचार्यों में से कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संकायाध्यक्ष या आचार्य,

(iii) प्रबंन्ध समिति का एक सदस्य, जो प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा, और

(iv) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे :

परन्तु किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के आचार्य की नियुक्ति की दशा में संकायों का संकायाध्यक्ष, यदि वह स्वयं उस महाविद्यालय का अध्यापक हो, चयन समिति में नहीं बैठेगा :

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे, जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

[3]परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालयों की स्थिति में, संकायाध्यक्ष या आचार्य भी, जो उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, उन पाँच संकायाध्यक्षों या आचार्यों के पैनल में से, जिनके लिये प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो, प्रबन्धतंत्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे, और यदि ऐसे संकायाध्यक्ष या आचार्य अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, तो सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों का नाम पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है।

*(घ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य; जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नाम-निर्दिष्ट महाविद्यालय का एक और अध्यापक,

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

२. अधिनियम संख्या ५ सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

(५) प्रत्येक पाठ्य-विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानी संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या-निकायों या अनुसन्धान संस्थाओं से जिन्हें कुलाधिपति आवश्यक समझे; परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेगा। उपधारा (४) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

*[१](ख)

*[२](ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट, कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

[३](घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए

(iii) दो विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे :

[४]परन्तु किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में जिसमें उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति का सदस्य होने के लिए कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक उपलब्ध न हों, चयन समिति इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से गठित होगी;

परन्तु यह और कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित तथा प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतंत्र द्वारा विशेषज्ञ ऐसे पाँच विशेषज्ञों के पैनल में से नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे जिनके लिए प्रबन्धतंत्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो।

*(ख) प्रत्येक संकाय का बोर्ड प्रत्येक पाठ्य-विषय के लिए सोलह या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक स्थायी पैनल बनाएगा, और उपधारा (४) के अधीन कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

*(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायगा।

---

१. अधिसूचना दिनांक २१ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।
४. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित हैं; विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो, तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—(१) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिससे स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके भाग १ या २ के लिए पृथक् पाठ्य-क्रम विहित हो, पृथक् पाठ्य-विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(२) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य-विषय के लिए हो, तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य-विषय का हो सकेगा।

(६) उपधारा (४) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(७) उपधारा (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी।

*[परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे—]

[१](७-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(८) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो कार्यपरिषद् उस मामले को ऐसे असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

---

*अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

[1]परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

[2](क क) जहाँ खण्ड (क) के परन्तुक मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यपरिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य-परिषद् के किसी दोष के कारण न हो, तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलधिपति समय-समय पर अनुमति दें, विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्यपरिषद् की बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है।

परन्तु (१) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) यदि कार्यपरिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है, तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

*[3](ख)

---

*(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो प्रबन्धतन्त्र को एक अन्य चयन समिति नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।
३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

*[१](९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समिति में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(१०) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय, जिनका उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

*[२](११)

---

*(९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे प्राचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

*[३](११) (क) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (जो राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न हों) का प्रबन्धतन्त्र चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी अध्यापक को नियुक्त नहीं करेगा, जब तक कि कुलपति का पूर्वानुमोदन न ले लिया जाय।

(ख) प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति के अधिवेशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिये कुलपति को प्रस्तुत करेगा।

(ग) कुलपति, यदि उनका समाधान हो जाय कि चयन समिति द्वारा, सिफारिश किया गया अभ्यर्थी विहित न्यूनतम अर्हता या अनुभव नहीं रखता है, या अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, प्रबन्धतन्त्र को अपनी अस्वीकृति की सूचना देंगे।

परन्तु यह कि यदि कुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपनी अस्वीकृति की सूचना नहीं देते हैं, या प्रबन्धतन्त्र को उसके सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं भेजते हैं, तो यह समझा जायेगा कि उन्होंने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

---

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(१२) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है, जो पद के लिये विहित अर्हताएँ रखता हो।

(१३) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और उपधारा (१०) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की वैयक्तिक पदोन्नति

[१]**३१-क.** (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा ३१ के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायेगी।

(३) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

सह-आचार्य और आचार्य के पद की पदोन्नति

३१-क क. [२](१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य की, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

---

१. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८५ द्वारा बढ़ाया गया तथा १०.१०.१९८४ से प्रवृत्त।
२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

(२) उपधारा (१) के अधीन पदोन्नति, धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाँय, दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द 'उपाचार्य' का अर्थ 'सह-आचार्य' होगा।

[१](३) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में या उपधारा १ या २ में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से सेवा में कार्यरत और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या ८४२/१५-१०-९७-११ (७)/९६, दिनाङ्क ११ अप्रैल, १९९७ के अनुसार, उपधारा १ में उल्लिखित संकाय में प्रोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रोन्नति की तिथि से उपधारा-१ के अधीन प्रोन्नत हुआ माना जायेगा।

नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

३१-ख. (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों और उपविधियों के अनुसार की जायेगी।

(२) उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९८ के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की गयी समस्त नियुक्तियाँ उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायेंगी, मानो उक्त उपधारा के उपबन्ध सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति-संविदा

३२. (१) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९९९ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी. नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(२) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(३) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएँ, उक्त विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम या परिनियम और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हो, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

(४) किसी संविदा या अन्य लिखित के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी घटक चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेन्शन, भविष्य-निधि आदि

३३. विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों: अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, [१]जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है, जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निर्योग्य, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायेगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

३४. (१) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के सम्बन्धी शर्तें [1]वही होंगी, जो विहित की जाँय।

(२) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्त्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्यों से भिन्न कर्त्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—'पारिश्रमिकीय पद' शब्दों के अन्तर्गत छात्र-निवास अथवा छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैडिट कोर, राजकीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालयों से भिन्न सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

***[2]३५.** सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें।

---

*३५. (१) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का (जो राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न हो) प्रत्येक अध्यापक लिखित संविदा के अन्तर्गत नियुक्त किया जायेगा, जिसमें ऐसे निबन्धन तथा शर्तों होंगी, जो विहित की जायें। संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा रखी जायेगी।

(२) ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने या हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किया गया प्रत्येक विनिश्चय उसे संसूचित किये जाने के पूर्व, कुलपति को रिपोर्ट किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी न होगा, जब तक कुलपति उसका अनुमोदन न कर दें :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र को किसी अध्यापक को पदच्युत करने, पद से हटाने, अथवा उसे पंक्तिच्युत करने या उसे किसी अन्य रीति से दण्ड देने के लिए किये गये विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु

---

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३६.* [1](१) धारा ३२ में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से माध्यस्थम् अधिकरण

उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक विनिश्चय लागू नहीं किया जायेगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्ध किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के किसी विनिश्चय पर भी, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा हो, लागू होंगे; किन्तु वह उस कालावधि के व्यतीत हो जाने पर, जिसके लिए अध्यापक नियुक्त किया गया हो, सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में लागू न होंगे :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के किसी अध्यापक की सेवा को समाप्त करने के विनिश्चय के लिए कुलपति का अनुमोदन अपेक्षित न होगा, उसे विनिश्चय की सूचना दी जायेगी और जब तक उसका समाधान न हो जाय कि इस निमित्त विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक विनिश्चय प्रभावी नहीं किया जायेगा।

(४) उपधारा (२) की कोई बात जाँच के दौरान निलम्बन के आदेश पर लागू नहीं समझी जायेगी, किन्तु कुलपति द्वारा ऐसा कोई आदेश स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में ऐसा आदेश कुलपति द्वारा तभी स्थगित, प्रतिसंहत या उपान्तरित किया जा सकेगा, जब ऐसे निलम्बन के लिए विहित शर्तें पूरी न की गई हों।

(५) ऐसे महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें।

*(१) धारा ३२ या धारा ३५ में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का कार्य करेगा)।

१. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) होगा।

(२) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(३) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(४) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(i) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(iii) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने,

---

(ख) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का कार्य करेगा)।

परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (५) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के और सम्बन्धित अध्यापक के नामनिर्देशितियों द्वारा संयोजक का चयन, ऐसे पाँच व्यक्तियों के पैनल में से किया जायेगा, जिसके लिए प्रबन्धतन्त्र ने सुझाव दिया हो और कुलपति ने अनुमोदन कर दिया हो :

परन्तु यह और कि विहित समय के भीतर उनके संयोजक नियुक्त करने में असफल रहने पर तो कुलपति पैनल में से संयोजक नाम-निर्दिष्ट करेगा।

पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(५) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(६) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी, जो उपधारा (१) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

परन्तु उपधारा (३) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिग्री हो।



अध्याय-७

सम्बद्धता तथा मान्यता

सम्बद्ध महाविद्यालय

[१]**३७.** (१) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों और (लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

*[२](२) कार्यपरिषद् सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

[३][× × × ×]

---

*(२) कार्यपरिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से, सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो निहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

[४]'परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारभूत रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करेगा, तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह उचित समझें,

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क १८ दिसम्बर, १९७४ द्वारा धारा ३७ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय पर लागू की गयी।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर १९७४ तथा अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा निकाला गया।

४. अधनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसन्धान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(४) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, महाविद्यालय के कार्य-कलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा, जिन्हें कार्यपरिषद् या कुलपति माँगे।

(६) कार्यपरिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(८) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (७) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर

अध्ययन के पाठ्यक्रम की एक अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान करने की मञ्जूरी दे सकते हैं या विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकार को बढ़ा सकते हैं :

परन्तु यह भी कि जब तक कि किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की सभी विहित शर्तों को पूरा नहीं कर दिया जायेगा, तब तक ऐसा महाविद्यालय अध्ययन के उस पाठ्यक्रम में, जिसके लिए पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ के दिनाङ्क के एक वर्ष के पश्चात् प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा'।

रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

[१](९) उपधारा (२) और (८) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, तो कुलाधिपति प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।

[२](१०) 'इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हकदार होगा; परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (२) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा'।

सहयुक्त महाविद्यालय

३८. (१) यह धारा लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों तथा (आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(२) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामित किये जाँय।

(३) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिये किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने का इन्तजाम करना विधिपूर्ण होगा।

(४) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जायेंगी, अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

की जायेंगी; किन्तु किसी सहयुक्त महाविद्यालय को, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये मान्यता देने से इन्कार किया जाय, तो धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे महाविद्यालय को, कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा ३७ में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी जा सकेगी और तदुपरान्त ऐसा महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय न रह जायेगा।

(५) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिये स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा। प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) यदि कार्यपरिषद् का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में बताई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो वह कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से और प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ले सकेगी।

[१](८) 'इस धारा में या धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह धारा लागू होती हो, क्षेत्र

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा संशोधित।

में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जॉय, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा ३७ लागू होती हो, सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान 'किया जा सकेगा'।

प्रबन्धतंत्र की सदस्यता के लिये अनर्हता

३९. कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्रनिवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्त्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये धारा २० के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि

४०. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र को

देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे, तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा; किन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधिव्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९९८ की धारा ४८० तथा ४८२ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(५) राज्य सरकार उपधारा (४) के अधीन प्रबन्धतन्त्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलपति को जानकारी देगी।

(६) राज्य सरकार किसी समय सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँग सकेगी।

४१. (१) घटक महाविद्यालय वही होंगे, जो परिनियमों द्वारा नामित किए जाँय। **घटक महाविद्यालय**

(२) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलीगत छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और

महाविद्यालय को आवंटित लिपिक-वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर साधारण नियन्त्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाँय।

स्वायत्त महाविद्यालय *[1]४२—

श्रमजीवी महाविद्यालय *[2]४३—

संस्थान ४४. विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसन्धान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

---

*४२. (१) विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, ऐसे महाविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित अध्ययन पाठ्यक्रमों में, विहित रीति से परिवर्तन करने तथा इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा।

(२) ऐसे महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने की सीमा तथा परीक्षा लेने की रीति प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(३) ऐसा कोई महाविद्यालय विहित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

*४३. (१) विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायें, ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, जो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए अन्यथा पात्र हों, किन्तु जो व्यवसाय, व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने अथवा किसी अन्य प्रकार की सेवा में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक छात्रों के रूप में नामावलीगत होने में असमर्थ हों, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को श्रमजीवी महाविद्यालय के रूप में मान्यता दे सकेगा।

(२) ऐसे छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि का विस्तार अन्य छात्रों के निमित्त पाठ्यक्रम के लिए विहित कालावधि के डेढ़ गुने से कम नहीं होगी।

(३) प्रत्येक ऐसा पाठ्यक्रम पृथक् रूप से संगठित किया जायेगा।

१,२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

अध्याय-८

प्रवेश तथा परीक्षायें

*[1]४५. (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि उसने विश्वविद्यालय की उत्तर मध्यमा या सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी की मध्यमा परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके बराबर मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, जो अध्यादेशों में निर्धारित की जाय, न रखता हो। छात्रों का प्रवेश

(२) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी।

---

*४५ (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि—

(क) उसने

(i) उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।

(ii) कोई ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ऐसी कोई उपाधि प्राप्त न कर ली हो, जो ऐसी परीक्षा या उपाधि हो, जिसे विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट परीक्षा या विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के बराबर मान्यता दी हो, और

(ख) वह ऐसी अतिरिक्त अर्हताएँ यदि कोई हों, रखता हो, जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जायें।

परन्तु विश्वविद्यालय ललित कला की किसी उपाधि के लिए प्रवेश की न्यूनतम अर्हताएँ अध्यादेशों द्वारा विहित कर सकेगा।

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(३) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(४) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हटाया जा सकेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

४६. सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे [1]महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकथित दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

महाविद्यालय को अंशदान और दान

[2]**४६क.** जहाँ किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

विश्वविद्यालय के छात्र-निवास, छात्रावास तथा अनिवासी छात्र केन्द्र

४७. (१) यह धारा लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगी।

(२) विश्वविद्यालय के छात्र-निवास या छात्रावास वही होंगे, जो—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित तथा परिनियमों में नामित हों,

(ख) कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता-प्राप्त हों।

(३) छात्रनिवासों तथा छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(४) कार्यपरिषद् को किसी ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास की जो उपधारा (२) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार घोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास के प्रबन्धतन्त्र को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिये बिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(५) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिये, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र-निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास-स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा। अनिवासी छात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्त्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

परीक्षाएँ

४८. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए इन्तजाम करने का निदेश देगी।

●

अध्याय-९

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

४९. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्त्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो,

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य,

[१](घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्यासम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित है),

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं),

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य-निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना,

(छ) उपाधियाँ तथा डिप्लोमा संस्थित करना,

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(झ) उपाधियाँ और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना,

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुन:संगठन,

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना,

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुन:संगठन,

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके,

(ढ) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को मान्यता प्रदान करना,

[१](ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण,

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना,

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना,

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना, और

(ध) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

५०. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जाँय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपान्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

[१](१-क) राज्य सरकार [२]३१ दिसम्बर, १९९० तक किसी समय प्रथम परिनियम को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनाङ्क से हो सकेगा, जो इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से पहले का न हो।

[३](२) कार्यपरिषद् [४]३१ दिसम्बर, १९९० के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (१) अथवा उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(३) कार्यपरिषद् किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक

---

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

४. अधिनियम संख्या ९, सन् १९८८ द्वारा प्रतिस्थापित।

कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(४) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्यपरिषद् को भेज सकेगा।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से; जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चाद्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रभावी होगा।

[[१](६) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार (अध्ययन, अध्यापन या अनुसन्धान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारीवर्ग के लाभ के लिये) या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षानीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्यपरिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे, तो राज्य सरकार कुलाधिपति की अनुमति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

[२](७) कार्यपरिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (६) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।]

---

१. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्यादेश

५१. (१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलीगत होना और इस प्रकार बना रहना,

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताएँ,

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे,

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन-छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें,

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें,

(च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध,

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना,

(ज) पत्राचार पाठ्य-क्रमों तथा प्राइवेट अभ्यर्थियों से सम्बन्धित सभी विषय,

[१](झ) अभिभावक-शिक्षक एसोसियेशन की रचना,

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

(ञ) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ ली जा सके,

(ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास तथा छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय,

(ठ) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य,

(ड) परीक्षाओं का संचालन,

(ढ) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं,

(ण) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों, अध्यादेशों द्वारा किये जाँय,

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

५२. (१) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वही होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, प्रवृत्त हों :

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो, और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(२) कुमायूँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

[१](२-क) उपधारा (२) के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाये जाने तक उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किये जाँय, इस पर लागू होंगे।

(३) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्यपरिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये धारा ४५ की उपधारा (१) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो,

(ख) जिससे परीक्षाकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्त्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी पाठ्य-क्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हो, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(४) कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्यापरिषद् को पूर्णतः

---

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा बढ़ाया गया।

अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्यपरिषद् सुझाव दे।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(६) कुलाधिपति, किसी समय कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्यपरिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(७) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा, जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियम

५३. (१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा—

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना, जिनका सम्बन्ध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गए विनियमों में, उसके सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(३) कार्यपरिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा :

परन्तु यदि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान किसी ऐसे निदेश से न हो, तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्यपरिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए विनियम सम्बन्धित संकाय के बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगी।

(५) विद्यापरिषद् को उपधारा (४) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी; किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

●

अध्याय-१०

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

५४. (१) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(२) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा सम्परीक्षा

५५. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(२) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी, जो उनकी सम्परीक्षा करायेगी।

(३) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की सम्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ सम्परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्यपरिषद् द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(५) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्यपरिषद् द्वारा वित्तसमिति को निर्दिष्ट की जायेगी, जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(६) कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(७) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा सम्परीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी।

(८) कुलपति या कार्यपरिषद् द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या जो बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउण्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदत्त निधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु धारा १३ की उपधारा (७) में किसी बात के होते हुए भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पाँच हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा, जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो [१]इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमे के सम्बन्ध में हो।

अधिभार

[२]**५५-क.** (१) धारा ९ के खण्ड (ग) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

---

१. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा बढ़ाया गया।

[1]अध्याय-११

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

परिभाषाएँ

५६. इस अध्याय में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'सम्पत्ति' के अन्तर्गत महाविद्यालय की समस्त सम्पत्ति आती है, चाहे जंगम हो और स्थावर, जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के फायदे के लिये पूर्णतः या भागतः विन्यासित हो और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), संकर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्वचालित यान और अन्य यान यदि कोई हो, और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हाथ की रोकड़, बैंक नकदी, विनिधान और बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति जो महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियन्त्रण में हो, से उद्भूत ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित और समस्त लेखाबहियाँ, रजिस्टर और तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अन्य दस्तावेजें हैं तथा महाविद्यालय के सभी अस्तित्वयुक्त उधार और किसी भी प्रकार के दायित्व और बाध्यताएँ भी इसके अन्तर्गत समझी जायेंगी।

(ख) 'वेतन' से उपलब्धियों का जोड़ अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य कर्मचारी को अनुज्ञेय कटौतियाँ करने के पश्चात् तत्समय संदेय महँगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता है।

सूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

५७. यदि राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्यान्य रूप से पोषित महाविद्यालय से भिन्न) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है—

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा अध्याय ११ निकाला गया।

(i) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को उस मास के जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेय है, अगले मास के बीसवें दिन तक वेतन का संदाय करने में जानबूझ कर बार-बार व्यतिक्रम किया है; या

(ii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं वाले, जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में विद्या सम्बन्धी स्तरों को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक है, अध्यापक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा उसने परिनियमों या अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है [१][या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० के अधीन उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है] या

(iii) कि ऐसे किसी विवाद ने जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि वे उसके प्रबन्धतन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी हैं, महाविद्यालय के सुचारु और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डाला है; या

(iv) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को ऐसे प्रर्याप्त और उचित आवास, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री प्रयोगशाला, उपस्कर और अन्य सुविधायें, जो महाविद्यालय के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक हैं, की व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है; या

(v) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय की सम्पत्ति का सारवान् रूप से इस प्रकार परिवर्तन, दुरुपयोग या दुर्विनियोजन किया है, जिससे महाविद्यालय का अहित हो,

तो वह प्रबन्धतन्त्र से यह कारण दर्शित करने की माँग कर सकेगी कि धारा ५८ के अधीन आदेश क्यों न किये जायें :

परन्तु जहाँ यह विवाद हो कि प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसी सूचना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जायेगी, जो ऐसा होने का दावा करते हैं।

---

१. उ.प्र. अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा बढ़ाया गया।

प्राधिकृत नियंत्रक

५८. (१) यदि धारा ५७ के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो; पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उस धारा में वर्णित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाय, अपने हाथ में ले ले और यह प्रबन्धतन्त्र को अपवर्जित करके होगा और जब कभी प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध को इस प्रकार अपने हाथ में लेता है, तब उन निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करे, उसे महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे, जैसा कि प्रबन्धतन्त्र को उस समय होता, जब कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गयी होती :

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय और उसकी सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रवर्तन का विस्तार ऐसी अवधि के लिये जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथाविनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भ के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, चार वर्ष से अधिक न हो :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश को किसी भी समय प्रतिसंहत कर सकेगी।

(२) धारा ५७ के अधीन सूचना जारी करते हुए जब राज्य सरकार की राय अभिलिखित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह प्रबन्धतन्त्र निलम्बित कर सकेगी, जो तदुपरान्त कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी सम्पत्ति के कार्यकलापों के प्रबन्ध के लिये अग्रेतर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसा प्रबन्ध करेगी, जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसरण में प्रबन्धतन्त्र को वास्तव में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अवधि की संगणना करने में वह समय जिसके दौरान यह आदेश संविधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा निलम्बित रहा था या कोई अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा ५७ के अधीन सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित करने में असफल रहा था, अपवर्जित कर दी जायेगी।

(३) उपधारा (१) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह प्राधिकृत नियन्त्रक को महाविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्ध करने के साधारण अनुक्रम में मासानुमास किराये पर दिये जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभार सृजित करने की (राज्य सरकार या भारत-सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की शर्त के सिवाय) शक्ति प्रदान करती है।

(४) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश महाविद्यालय के या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखित में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा :

परन्तु महाविद्यालय की सम्पत्ति और उससे कोई आय महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार उपयोग किया जाता रहेगा, जैसा कि किसी ऐसे लिखित में उपबन्धित हो।

(५) शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) का निदेशक प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियन्त्रक उन निदेशों का पालन करेगा।

सहायता न प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग वाले महाविद्यालयों को धारा ५८ का लागू न होना

५९. धारा ५८ की कोई बात किसी ऐसे महाविद्यालय को लागू न होगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्प-संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित हो।

प्राधिकृत नियन्त्रक को सम्पत्ति का कब्जा परिदत्त करने का कर्त्तव्य

६० (१) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियन्त्रणाधीन महाविद्यालय की कोई सम्पत्ति है, वह सम्पत्ति प्राधिकृत नियन्त्रक को तत्काल परिदत्त कर देगा।

(२) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियन्त्रण रखता है, उक्त बही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियन्त्रक को देने के लिये दायी होगा और उन्हें उसको या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियन्त्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा।

(३) प्राधिकृत नियन्त्रक कलेक्टर से महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियन्त्रण परिदत्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे महाविद्यालय या सम्पत्ति का कब्जा सुनिश्चित कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा और विशिष्टतः यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा या करायेगा।



[1]अध्याय-११-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

परिभाषायें

६०-क. इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो। (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी [2][नगर महापालिका] द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है)।

(२) 'उप-निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(३) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है—

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो।

(४) 'पोषण अनुदान से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा संशोधित।

या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिए समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिए निदेश दे।

(५) 'वेतन' का वही अर्थ होगा, जो धारा ५६ के खण्ड (ख) में उसके लिये दिया गया है।

(६) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है, जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो—

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से १ अप्रैल, १९७५ के पूर्व सृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियाँ किये बिना वेतन का भुगतान

६०-ख. (१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायेगा।

(२) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायेगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

६०-ग. (१) उपनिदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहियाँ तथा बाउचर भी है) माँग

सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिए उसके प्रबन्धतन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा, जिसे वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन छँटनी के लिए प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और उसमें ऐसा भावी दिनाङ्क विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(३) जहाँ उपधारा (१) तथा (२) के अनुसार छटनी के लिए कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनाङ्क से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायेगा।

अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद

[1]**६०-ग ग.** कुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिनियमों के अनुसार अपना लीएन (धारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्य-निधि में अंशदान कर सके और सेवा-निवृत्ति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

६०-घ. (१) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवित्तरण के प्रयोजनों के लिए किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में एक पृथक् लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्धतन्त्र के एक प्रतिनिधि और उपनिदेशक या ऐसे

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

अन्य अधिकारी द्वारा जो उप निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायेगा।

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात् यदि उप-निदेशक का धारा ६०-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उपधारा (३) में निर्दिष्ट दशा में अथवा जहाँ किसी अन्य दशा में प्रबन्धतन्त्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा आवश्यक या समीचीन है, तो उप-निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा उपनिदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायेगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णतः या अंशतः धर्मास्वित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे और तदुपरान्त प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेश के अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(३) जहाँ उप-निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र ने उपधारा (२) अथवा तदधीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहाँ उप-निदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त उप-निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षतः (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(४) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी, जो उपधारा (१) तथा (३) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (५) के अनुसार करने के लिये आवश्यक हो।

(५) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् की किसी कालावधि के लिए महाविद्यालय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए।

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखे में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए।

(६) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो, तब चेक द्वारा संदत्त किया जायेगा।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

[1]६० -ङ. (१) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिए दायी होगी, जिसे राज्य सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९७५ को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची में ले लिया गया हो :

परन्तु प्रथमतः यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान मंजूर करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो :

परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का सृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो ३१

१. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा प्रतिस्थापित।

मार्च, १९७५ के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरे गये हों :

परन्तु तृतीयत: यह कि राज्य सरकार किसी ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी, जहाँ पदों के सृजन की अनुज्ञा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी हो कि अपने-अपने महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार सृजित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थत: यह कि ऐसे महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्ववित्तपोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगी'।

(२) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी, मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में, जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हों, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

दण्ड, आस्तियाँ तथा प्रक्रिया

६०-च. (१) यदि धारा ६०-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा ६०-ख या धारा-६०-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा ६०-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने

से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास, जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप-निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारण्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अन्तिम होना

६०-छ. इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा); उप-निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति

६०-ज. (१) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्य तदधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

●

अध्याय १२

शास्तियाँ और प्रक्रिया

६१. (१) जो कोई धारा ४६ के उपबन्धों का उल्लङ्घन करता है, सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। शास्तियाँ

(२) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सम्पत्ति का, जिसके सम्बन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश किया गया था, कब्जा, अभिरक्षा या नियन्त्रण रखता है, ऐसी सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक से या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से दोषतः रख रखता है, या

(ख) ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति का कब्जा दोषतः अभिप्राप्त करता है, या

(ग) कोई बही या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हो, प्राधिकृत नियन्त्रक को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट धारा ६० की उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर रोकता है या असफल रहता है, या

(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक् रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है,

सिद्धदोष होने पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अभियुक्त

व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराते समय उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषतः रखी गयी या दोषतः अभिप्राप्त किसी सम्पत्ति को या जानबूझ कर रखी गयी किसी बही या अन्य दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर परिदत्त कर दे या वापस कर दे।

न्यायालयों का संज्ञान

६२. कोई भी न्यायालय शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) के निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना धारा ६१ के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध

६३. (१) यदि धारा ६१ के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो, तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके कारबार के संचालन के लिये सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी रज़िस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उस सोसाइटी के किसी सदस्य की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसे अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा।

●

अध्याय-१३

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

६४. (१) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(२) जहाँ इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी, जो विहित की जाय।

(३) जहाँ इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहाँ परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है, तो वह ऐसी रीति से होगा, जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(४) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

६५. (१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(२) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो, चाहे वह

निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे [× × × ×[1]]

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही की अवधि मान्य न होना

६६. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :—

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

[2]**६६-क.** 'राज्य सरकार समय-समय पर किसी विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा'।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

६७. सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ है, जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलङ्कात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

१. 'और तत्पश्चात् जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यथाविधि नियुक्त न हो जाय'। अधिनियम संख्या ९, सन् १९९८ द्वारा निकाला गया।

२. अधिनियम संख्या १, सन् २००४ द्वारा बढ़ाया गया।

६८. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय [१](जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा : **कुलाधिपति को निर्देश**

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जायगा;

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा।

(ख) जहाँ निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो, तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा, जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

[२](ग)

[३]**६८-क.** (क) जहाँ सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत **प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अपना आदेश प्रवृत्त करने की कुलपति की शक्ति**

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहाँ इस अधिनियम के या धारा ७४ द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलपति ने ऐसे अध्यापक के निलम्बन के आदेश को स्थगित, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर दिया है, और प्रबन्धतन्त्र ने ऐसे अध्यापक के वेतन का, जो कुलपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहाँ कुलपति यह आदेश दे सकता है कि प्रबन्धतन्त्र वेतन की उस राशि का भुगतान करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो तथा निलम्बन काल में देय वेतन का १/२ की दर से निलम्बन भत्ता, यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान करने के लिए भी प्रबन्धतन्त्र को आदेश दे सकता है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी मामले में, कुलपति सम्बद्ध अध्यापक की, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन कुलपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या निलम्बन भत्ता की धनराशि कुलपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायेगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उस न्यायालय की डिग्री हो।

(५) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा।

वाद का वर्जन

[1]६९. राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (जैसा धारा ६०-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियन्त्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियाँ की जा सकेंगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

७०. (१) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(२) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएँ उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

●

अध्याय-१४

संक्रमणकालीन उपबन्ध

विश्वविद्यालय के वर्तमान अधिकारियों का बना रहना

७१. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व तारीख को किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद धारण वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद धारण किये रहेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

[1]**७२.** (१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनाङ्क से ऐसा सदस्य नहीं रह जायेगा।

(२) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह समय-समय पर निदेश दे सकेगी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वहन योग्य शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा :

[2]परन्तु ऐसा कोई निदेश [3]३१ दिसम्बर, १९८१ के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

*[4](३)

---

* (३) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ की धारा ६७ की उपधारा (२) के अनुसरण में गठित प्राशासनिक समितियाँ और विद्या–

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा संशोधित।
३. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिसूचना दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

[1]७२-क, ७२-ख, ७२-ग*, ७२-घ*, ७२-ङ*, ७२-च*, ७२-छ*, ७२-ज*

समितियाँ १५ सितम्बर, १९७३ को विघटित उन बातों के सिवाय हो जायेंगी, जो उन्होंने उस तारीख से पूर्व किया था या उनके किये जाने में सोच किया था, किन्तु इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को उस तारीख से उपधारा (२) के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही करने से, जिसे वह ठीक समझे, प्रवासरित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

काशीविद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

*[2]**७२-क.** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काशीविद्यापीठ के विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उसके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अवधि के सिवाय उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नयी नियुक्तियाँ न कर दी जायें, इस रूप में उसी प्रकार पद धारण करता रहेगा, जिन पर कि वह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्सम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्सम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा;

[3](ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य[4] ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्य की अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[5]**७२-ख** २५ अप्रैल, १९८९ से, इस अधिनियम या किसी नियम,

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।
२. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।
३. अधिनियम संख्या १२, सन् १९७८ द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
५. अधिनियम संख्या २६, सन् १९८९ द्वारा बढ़ाया गया।

परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[1]७२-ग. १७ जनवरी, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में मेरठ विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[2]७२-घ. (१) १८ जून, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

[3](२) ११ जून, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अवध विश्वविद्यालय या डॉ. राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति किसी निर्देश को डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

काशीविद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[4]७२-ङ. ११ जुलाई, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में काशीविद्यापीठ के प्रति किसी निर्देश को महात्मा गाँधी काशीविद्यापीठ, वाराणसी के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

आगरा और कानपुर विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[5]७२-च. (१) २४, सितम्बर, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।
२. अधिनियम संख्या २०, सन् १९९४ द्वारा बढ़ाया गया।
३. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा संशोधित।
४. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।
५. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा बढ़ाया गया।

७३. (१) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः धारा ७४ द्वारा निरसित अधिनियमितियों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे। कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

क्रमशः डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

[1](२) उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विश्वविद्यालय या श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

[2]**७२-छ.** उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रति निर्देश समझा जायेगा। गोरखपुर और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

[3]**७२-ज.** उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध

---

१. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ द्वारा संशोधित।
२. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा संशोधित।
३. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा संशोधित।

[१]परन्तु [२]३१ दिसम्बर, १९८२ के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

७४. (१) निम्नलिखित अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा क्रमशः उन तारीखों से निरसित की जा रही हैं, जिन तारीखों को यह अधिनियम विद्यमान सम्बद्ध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त किया गया है :—

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०,

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१,

(ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६,

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६,

(ङ) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, और

(च) कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय, अधिनियम, १९६५।

[३](२) ऐसे निरसन के होते हुए भी :

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियाँ या डिप्लोमा अथवा जारी किये प्रमाण-पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गयी,

१. अधिनियम संख्या २५, सन् १९८२ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गयी समझी जायेंगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिक्रान्त न कर दिये जायें, प्रवृत्त बनी रहेंगी।

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियाँ, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुईं तथा चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतन्त्र या कार्यपरिषद् द्वारा की गयी सभी कार्यवाहियाँ, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी; किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जायेगी, जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं।

(३) इस अधिनियम की उपधारा (१) और उपधारा (२) या किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—

[१](क)

[२](ख) विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विषय में शिक्षण देने के लिए अध्यापन का एक विभाग हो सकेगा और यह पाठ्यक्रम विहित कर सकेगा तथा उस विषय में परीक्षाएँ ले सकेगा तथा ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए उपाधियाँ संस्थित कर सकेगा और उन्हें प्रदान कर सकेगा या दे सकेगा, चाहे परिनियमों या अध्यादेशों में उस निमित्त व्यवस्था की गयी हो या नहीं।

*[४](ग)

---

*[३](ख)

*(ग) जहाँ किसी संस्था ने आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिये

---

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा निकाला गया।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा निकाला गया।

४. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

(घ) जब तक कि धारा ३१ की उपधारा (५) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता, तब तक यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान हों, नामनिर्दिष्ट कर सकेगा :

[1]परन्तु यह कि उक्त उपधारा (५) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नामनिर्देशनों पर भी लागू होंगे।

(ङ) जब तक किसी विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट संकाय के *[2]विभागाध्यक्ष द्वारा पालन किए जायेंगे;

(च) जब तक कि धारा १७ के अधीन नियम नहीं बना दिये जाते, तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की कोई रिक्ति, कुलसचिव के पद की दशा में कुलाधिपति द्वारा और उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव की दशा में कुलपति द्वारा अस्थायी आधार पर भरी जा सकेगी।

आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ के उपबन्धों के अनुसार १८ जून, १९७३ से पूर्व आवेदन किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को लम्बित था और जहाँ यह संस्थान स्थित है, वह स्थान इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है, तो ऐसा आवेदन आगरा विश्वविद्यालय के समक्ष प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जा सकेगा, मानो वह संस्थान उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाता है और कुलाधिपति द्वारा ऐसा आवेदन मंजूर किये जाने पर वह संस्था उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगी, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर, जैसा कि धारा ५ में विनिर्दिष्ट है, संस्थान स्थित होगा।

* संकायाध्यक्षों।

---

१. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा बढ़ाया गया।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

*[1](छ)

*[2](ज)

[3](झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे आगरा विश्वविद्यालय ने काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से १९७४ की बी.ए.

---

*[4](छ) वाराणसी जिले में स्थित काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जखनी अथवा देहरादून जिले में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिये अध्ययन कर रहा था; या

(२) उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के लिए विद्यावर्ष १९७३-७४ के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रविष्ट था; या

(३) वर्ष १९७४ में, या भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष १९७५ में [5]अथवा वर्ष १९७६ में उक्त विश्वविद्यालय की किसी उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो;

आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्य-विवरण के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और आगरा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

* (ज) जब तक कि धारा ४ की उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(१) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(२) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य, और

(३) तीन विशेषज्ञ, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

---

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

२. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

३. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

५. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

भाग १ या एम.ए. भाग १ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी थी और जिसे उक्त परीक्षाफल पर सफल घोषित किया गया है, उसे आगरा विश्वविद्यालय विद्या-वर्ष १९७४-७५ और १९७५-७६ के दौरान काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज्ञानपुर वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, बी.ए. भाग २ या एम.ए. भाग २ की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा देगा और ऐसे परीक्षाफल पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जायेगी।

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त विश्वविद्यालय कहा गया है) धारा ७ के खण्ड (५) में निर्दिष्ट परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और ऐसे परीक्षाफल पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी, यद्यपि ऐसा व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में नहीं रहता था।

[१](४) (क) २ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाली कालावधि में—

(१) धारा (५) की उपधारा (४) के परन्तुक में निर्दिष्ट आयुर्वेदिक महाविद्यालय और उससे सम्बद्ध किसी अस्पताल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यानकक्ष या संग्रहालय तथा किसी उपस्कर, स्टोर, औषधि, धनराशियों तथा अन्य आस्तियों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण राज्य सरकार में निहित रहेगा और ऐसी सम्पत्तियों तथा आस्तियों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा, जिनके लिये उनका उपयोग किया जाता था या उपयोग किया जाना अभिप्रेत था;

(२) विश्वविद्यालय की समस्त, भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्स्चर्स तथा अन्य आस्तियों, जिनका उपयोग इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजनों के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेगी।

१. अधिसूचना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

(३) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व नियोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में समस्त अनुशासनिक शक्तियाँ (जिसमें किसी सेवा संविदा को समाप्त करने या निलम्बित करने की शक्ति भी सम्मिलित समझी जायेगी) तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नये कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार में या उसके द्वारा विश्वविद्यालय या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित रहेंगी।

(ख) यदि खण्ड (क) के उपखण्ड (३) के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति ३ मार्च, १९७२ के पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में नियोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

७५. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ में 'दो मास' शब्दों के स्थान पर 'छः मास' शब्द रखे जायेंगे। *(१९६५ के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं. २४ का संशोधन)*

७६. (१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। *(निरसन और व्यावृत्तियाँ)*

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही धारा ७२ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे की गयी मानी जाएगी, मानो यह अधिनियम १९७३ के जून के १८ वें दिन प्रारम्भ हुआ था।

●

अनुसूची

(धारा ५ देखिये)

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्र, जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा
१.	लखनऊ विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल के चारों ओर सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
२.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त हाल से चारों ओर सोलह किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र।
[1]३.	[2]डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्व-विद्यालय, आगरा—	
	१. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
	२. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी तथा मथुरा जिले।
४.	[3]दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर—	
	१. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना होने तक।	आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा वाराणसी जिले।
	२. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिले।

१. अधिनियम संख्या २९, सन् १९७४ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १८; सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।

	३. [1]पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर।	बस्ती, देवरिया और गोरखपुर जिले।
[2]५.	[3]क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर—	
	१. बुन्देलखण्ड तथा अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, बाँदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
	२. अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पूर्व।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, बाँदा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झाँसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
	३. अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विंश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय, इलाहाबाद, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले।
६.	[4]चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले।

१. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा प्रतिस्थापित।
२. अधिनियम संख्या २१, सन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।
३. अधिनियम संख्या १२, सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।
४. अधिनियम संख्या ५, सन् १९९४ द्वारा प्रतिस्थापित।

७.	कुमायूँ विश्वविद्यालय	अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिले।
८.	[1]हेमवतीनन्दन बहुगुणा विश्व-विद्यालय, गढ़वाल	चमोली, देहरादून, गढ़वाल, टिहरीगढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले।
९.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	बाँदा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी तथा ललितपुर जिले।
१०.	[2]डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले।
११.	[3]महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेल-खण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले।
[4]१२.	[5]वीरबहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और वाराणसी जिले।

१. अधिनियम संख्या २६, सन् १९८९ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ४, सन् १९९६ द्वारा प्रतिस्थापित।

३. अधिनियम संख्या १८, सन् १९९७ द्वारा प्रतिस्थापित।

४. अधिनियम संख्या १९, सन् १९८७ द्वारा प्रतिस्थापित।

५. अधिनियम संख्या ११, सन् १९९९ द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन)

अधिनियम, १९७४

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४)

अध्याय ४

अस्थायी उपबन्ध

२८. (१) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को, विशिष्टतः बुन्देलखण्ड, अवध, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अध्याय २ तथा ३ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्तन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि [1]३१ दिसम्बर [2]१९८१ के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

---

१. अधिनियम संख्या ५, सन् १९७७ द्वारा प्रतिस्थापित।

२. अधिनियम संख्या १५, सन् १९८० द्वारा प्रतिस्थापित।

उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९८०

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९८०)

अपवाद

१०. मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य-सरकार द्वारा २१ जुलाई, १९८० (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त दिनाङ्क कहा गया है) के पश्चात् किन्तु ३१ जुलाई, १९८० के पूर्व किसी समय, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कर्त्तव्यों के पालन या तात्पर्यित पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगा, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उक्त दिनाङ्क के बाद ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करने या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी;

(ख) मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राधिकारियों के सदस्यों को जो २१ अप्रैल, १९८० को अपना-अपना पद धारण करते रहे हों, ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या उस समय तक जब तक कि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारी सम्यक् रूप से नियुक्त न कर दिये जाँय और प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित न हो जाँय, इसमें जो भी पहले हो, पूर्ववत् ऐसे पदों को धारण करता समझा जाएगा।

(ग) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० के अधीन बनाये गये प्रथम परिनियमों के परिनियम १७३-ए के अनुसार, १२ जून, १९७३ से प्रारम्भ होने वाली और २२ अगस्त, १९८० को समाप्त होने वाली अवधि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो २२ अगस्त, १९८० को अस्तित्व में थी, विधिमान्य समझी

जाएगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जाएगी, और उस प्रयोजन के लिये, उक्त परिनियम १७३-ए को उक्त अवधि में प्रवृत्त समझा जायेगा, और जहाँ ऐसे अध्यापक द्वारा धृत अस्थायी पद को २२ अगस्त, १९८० के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ३१ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट, स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, वहाँ ऐसा अध्यापक उस स्थायी पद पर ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से उक्त खण्ड (ख) के अनुसार अधिष्ठायी रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के दिनाङ्क से उस पद पर स्थायी किया गया माना जाएगा।

११. (१) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९८० और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९८० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

(नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८ सन् १९८४।

राज्य विश्वविद्यालयों में की गई कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिये।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ कहा जाएगा।

२. नियुक्तियों की विधिमान्यता

किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ या उसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किसी विश्वविद्यालय में या उसके किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में १ जुलाई १९७८ और इस अधिनियम के प्रख्यापन के दिनाङ्क के बीच की अवधि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जाएगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि यह पद अलग से विज्ञापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था।

३. निरसन और अपवाद

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश १९८४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६ सन् १९८४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा १ में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जो उक्त अध्यादेश के तहत की गयी हो, इस अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

●

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973

(Act No. 10 of 1973)

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

CONTENTS

Chapter - 1
PRELIMINARY

Chapter - II
THE UNIVERSITIES

Chapter - III
INSPECTION AND INQUIRY

Chapter - IV
OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Chapter - IVA

CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

Chapter - V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Chapter - VI

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

Chapter - VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

Chapter - VIII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

Chapter-IX

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Chapter - X

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Chapter-XI

REGULATION OF DEGREE COLLEGES

Chapter - XIA
PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

Chapter - XII
PENALTIES AND PROCEDURE

Chapter - XIII
MISCELLANEOUS

Chapter - XIV

TRANSITORY PROVISION

●

NO. 2978 (2)/XVII-V-1170-72

Dated Lucknow, September 2, 1973

The following President's Act enacted on September 2, 1973 is published for general information :

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973

(Act No. 10 of 1973)

ENACTED BY THE PRESIDENT IN THE TWENTY-FOURTH YEAR OF THE REPUBLIC OF INDIA

An

Act

To amend and consolidate the law relating to certain Universities

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows—

Chapter-1

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973. **Short title Commencement and application.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint and different dates may be appointed in relation to different existing Universities and references to commencement of this Act in relation to an existing University shall be construed as the date on which this Act comes into force in relation thereto.

(3) In its application to the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya (which after the coming into force of this Act in relation to that University shall be called the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya), the Sate Government may, [from time to time][1] by notification in the Gazette, make such exceptions or modification not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

(4)(a) In its application to the Kashi Vidyapith after it is established as a University under sub-section (2) of section 4, the State Government may, by notification in the Gazette, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act as the circumstances may require.

(b) [× × × ×][2]

Definitions **2.** In this Act, unless the context otherwise requires—

(1) 'Academic Council', 'Court' and 'Executive Council' mean respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University.

(2) 'Affiliated College' means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of that University.

---

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975 dated 3.5.1975.
2. Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.
   Originally the provision reads as follows—
   (b) [without prejudice to the generality of the power under clause (a), such exceptions and modifications may be made in provisions relating to the manner of appointment of officers (including provisions regarding any office held (ex-officio) and to the constitution of the authorities of that university.]

(3) 'Area of the University' means the area specified in respect of the University by or under section 5 or section 4. as the case may be.

(4) 'Associated College' means any institution recognised by the University and authorised under the provisions of this Act [and the statutes of the university][1] to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University.

(5) 'Autonomous College' means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of section 42.

(5-A) The expression 'Other backward classes of citizens' shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services [Reservation for scheduled castes, scheduled Tribes and other Backward classes. Act, 1994][2]

(5-B) 'Central Board of Studies' means the Central Board of Studies referred [to in section 18-B][3]

(6) 'Constituent College' means an institution maintained by the University or by the State Government and named as such by the Statutes.

(6-A) 'Co-ordination Council' means the co-ordination council constituted under Section 18-A][4]

(7) 'Director', in relation to an Institute means the Head of such Institute.

(8) 'Existing University' means the university of Lucknow, Allahabad, Agra (which shall from

---

1. Substituted by U.P. Act No. 29 of 1974 for the word 'this Act'.
2. Ins. by U.P. Act 20 of 1994 (w.e.f. 15.7.1994).
3. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).
4. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

September 24, 1995 be called Doctor Bhimrao Ambedkar University Agra), Gorakhpur. [Which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act. 1997 be called Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur] Kanpur [Which shall be called Shri Shahuji Maharaj University, Kanpur with effect from September 24, 1995 and Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment Act, 1997] Meerut [whcih shall from January 17, 1994 be called Chaudhary Charan Singh University, Meerut] or the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, as the case may be.

(9) 'Faculty' means a faculty of the University.

[1](9-A) 'Foundation Course' means a course of greater awareness of oneself and of the social, cultural and natural environment.

(10) 'Hall (or College) of a University' means a unit of residence for students maintained or recognised by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instruction.

(11) 'Hostel of a Univeristy' means a unit of residence for students maintained or recognised by the University, other than a hall, and 'hostel of an affiliated or associated college' means a unit of residence for students of that college.

(12) 'Institute', means an Institute established by the University under section 44.

(13) 'Management', in relation to an affiliated or associated college, means the managing committee

---

1. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995)

or other body charged with managing the affairs of that college and recognised as such by the University.

'Provided that in relation to any such college maintained by a Municipal Board or a Nagar Mahapalika, the expression 'management' means the education committee of such Board or Mahapalika as the case may be and the expression 'Head of the Management' means the chairman of such committee'[1]

(14) 'Prescribed' means prescribed by Statutes.

(15) 'Principal', in relation to an affiliated, associated or a constituent college, means the head of such college.

(16) 'Registered Graduate' means a graduate of the University registered under the provisions of this Act or under any enactment repealed by this Act.

(17) 'Statutes', 'Ordinances' and 'Regulations' means respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University.

*(18) 'Self finance course' means a course with respect to which all financial liabilities shall be borne by the Management of an associated or affiliated college or by a University.

*(19) 'Teacher' in relation to the provisions of this Act except Chapter XI-A, means a person employed in a University or in an institute or in a constituent or affiliated or associated college of a University for imparting instructions or guiding or conducting research in any subject or course approved by that University and includes a Principal or Director.

1. Proviso added by U.P. Act No. 12 of 1978.

* Substituted by U.P. Act 1 of 2004 w.e.f. 11.7.2003.

(20) 'University' means an existing University or a new University established after the commencement of this Act under section 4.

(21) 'Working Men's College' means an affiliated or associated college recognised as such in accordance with the provisions of section 43.

Chapter - II

THE UNIVERSITIES

3. (1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council, the Court and the Academic Council for the time being holding office as such in any University shall constitute a body corporate by the name of that University. **Incorporation of Universities**

(2) Each University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.

4. (1) With effect from such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf, there shall be established a University of Kumaun at Naini Tal and a University of Garhwal at Srinagar (District Garhwal) for the areas respectively specified in the Schedule. **Establishment of new Universities and alteration of the areas or names of Universities**

[1][(1.a) with effect from such date or dates as the State Government may by notification in the Gazette appoint in this behalf, there shall be established—

(a) A University of Bundelkhand at Jhansi.

[2](b) A University of Avadh at Faizabad (which shall be called the (Doctor Ram Manohar Lohia, University, Faizabad with effect from June 18, 1994) and (Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad with effect from July 11, 1995.)

---

1. Added by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Subs. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

[1](c) A University of Rohilkhand at Bareilly which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly.

[2](d) A University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, which shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999, be called 'Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur'.

For the areas respectively specified in schedule.

(1-B) in relation to the university to be established under Sub-Section (1-A)—

(a) The State Government shall appoint interim officers of the universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such universities in such manner as it thinks fit.

[3](b) The officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office [× × × ×][4], until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) whichever be earlier].

[5][Provided that the State Government may by notification, extend the term of the members of such authorities for a period not exceeding one year].

---

1. Ins. by U.P. Act 18 of 1997 (w.e.f. 16.8.1997).
2. Subs. by U.P. Act 11 of 1999 (w.e.f. 8.1.1999).
3. Substituted by U.P. Act No.12 of 1978.
4. The words 'upto 31 December 1981' omitted by U.P. Act 19 of 1987 (w.e.f. 31.7.1987).
5. Added by U.P. Act No. 5 of 1977.

(c) The State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act so that the same may be completed before the expiry of the respective term of the interim officers and members under Clause (b)].

(2) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in that behalf the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi, shall be deemed to be a University established under the provisions of this Act, which shall be called Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith[1], Varanasi with effect from July 11, 1995.

(3) As from the date appointed under sub-section (2)—

(i) the society known as the Kashi Vidyapith, Varanasi shall be dissolved, and all property movable and immovable, and rights, powers and privileges of the society shall be transferred to and vest in the University and shall be applied to the objects and purposes for which the University is established,

(ii) all debts, liabilities and obligations of the said society shall be transferred to the University and shall thereafter be discharged and satisfied by it;

(iii) all reference in any enactment to the said society shall be construed as reference to the University,

(iv) any will, deed or other document, whether made or executed before or after the commencement of this Act, which contains any request, gift or trust in favour of the said society shall be construed as if the University was therein named instead of such society;

---

1. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

(v) subject to the provisions of this Act, every person employed immediately before the said date in the said society shall with effect from that date, become an employee of the University by the same tenure and upon the same conditions of service or conditions as similar thereto as changed circumstances may permit, as he would have held under the said society, if such notification had not been issued.

(4) The State Government may, by notification in the Gazette—

(a) increase the area of a University;

(b) diminish the area of University; or

(c) alter the name of a University.

Provided that no such notification shall be issued except with the previous approval by resolution of both the Houses of the State Legislature.

(5) Any notification under this section may contain such provisions for the amendment of the Schedule and the Statutes, Ordinances and Regulations of the University or Universities affected by such notification, as may be necessary to give effect to the provisions of the notification, and thereupon the Schedule and such Statutes, Ordinances and Regulations shall stand amended accordingly.

(6) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (5), any notification under this section may provide for the following matters, namely—

(a) Provision in respect of representation of various interests or classes of persons in the authorities of the University or Universities affected by the said notification.

(b) Provisions for exercise of option by registered graduates of the then existing University to

continue to remain registered graduates of the same University or to get registered with a newly established University so however, that no person shall be registered graduate of more than one University.

(c) Such other supplemental, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

Explanation—For the purposes of this section and section 5 'Kashi Vidyapith' means the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi established and administered by the Society known as Kashi Vidyapith registered under the Societies registration Act, 1860 (21 of 1860) in respect of which the Nirikshak Sabha of the said Society has passed a resolution on 28th May, 1972 requesting the State Government to take over the entire movable and immovable properties of the said institution and to convert it into a State University.

Territorial exercise of powers

5. (1) Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on each University (other than the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya and the Kashi Vidyapith) shall be exercisable in respect of the area for the time being specified against it in the Schedule.

(2) The Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya may affiliate institutions situated in any part of the territory of India and recognize teachers of, and admit to its examinations candidates from such territory or abroad.

Provided that the Vishvavidyalaya shall not—

(a) affiliate an institution outside Uttar Pradesh, or

(b) recognize any teacher employed in an institution situated outside Uttar Pradesh and maintained by any Government,

except upon the recommendation of the Government concerned.

(3) Nothing in this Act relating to affiliation or recognition of colleges shall apply to the Kashi Vidyapith.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the powers conferred on the Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur in respect of instruction and research in the Ayurvedic and Unani systems of medicine and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.

'Provided that the Ayurvedic College which immediately before March 2, 1972 formed part of the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya and the management and control of which stood transferred to and vested in the State Government with effect from the said date and for a period of five years thereafter shall, for so long as sub-section 74 remains inforce, be deemed to be a college affiliated to the Sampurnanand[1] Sanskrit Vishvavidyalaya'.

(5) [× × × ×][2]

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (i) or sub-section (i) of Section 37, the institutions established or Proposed to be established for imparting education or instruction in Western

---

1. Ins. by ordinance, dated December 11, 1974.
2. Inserted by Homoeopathic Medicine (Amendment) Act. 1977 U.P. Act No.14 of 1977.
   Originally the provision reads as follows.
   [Notwithstanding anything contained in sub-section (1) The homoeopathic educational or instructional institutions throughout Uttar Pradesh may be affiliated to the Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur.

Medical Science as defined in the Indian Medical Degrees Act, 1916, Engineering, Technology or Management anywhere in Uttar Pradesh may, subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf be affiliated to any university[1]

6. The University shall be open to all persons irrespective of class or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances.

University open to all classes and creed

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

7. The University shall have the following powers and duties namely—

Powers and duties of the University

*(1) to provide for instruction in Sanskrit, Pali and Prakrit learning and other allied subjects including Ayurved and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge.[2]

(2) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or to enlarge the privileges of any college already affiliated or recognised, as the case may be, or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of affiliated and associated colleges;

(3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions,

---

* (1) To provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge.

1. Ins. by President's Act 4 of 1996. (w.e.f. 25.8.1995).
2. Subs. by ordinance, dated December 11, 1974.

(4) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons, who—

(a) have pursued a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college or associated college, or

(b) have carried on research in the University or in an institution recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances as external candidates, or

*(d) have carried on Private Studies under conditions laid down in the statutes and the ordinances[1],

(e) are women residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(f) are blind and are residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the ordinances;

---

* (d) Are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or associated college or in any other educational institutions under conditions laid down in the Statutes, and the Ordinances or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances, or

1. Subs. by ordinance, dated December 11, 1974.

*(5) to maintain the Saraswati Bhawan Libarary;[1]

(6) to confer honorary degrees or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(7) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for persons, not being students of the University, as the University may determine;

(8) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(9) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;

*(10) to maintain a bibliography of Literature on Sanskrit and allied subjects and to publish research papers;[2]

(11) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;

(12) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentship and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(13) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the

---

* (5) To hold examinations for and to grant the degree of Bachelor of Arts or Commerce or Master of Arts or Commerce to persons residing within the area of the University who have carried on Private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances.
* (10) To recognize teachers for giving instruction in halls.

1,2. Subs. by ordinance, dated December 11, 1974.

University, the Institutes or the constituent or affiliated or associated colleges;

(14) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;

(15) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Institute and the constituent or affiliated or associated colleges and to make arrangements for promoting their health;

(16) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto, and

(17) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

Additional Powers and duties of certain Universities

[1](7-A)

Upon being authorised by the State Government by notification under the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951. Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, as the case may be, shall—

(a) hold examinations for and grant diplomas in Homoeopathy;

(b) take over the functions of holding of examinations for courses prescribed by the Board of Homoeopathic medicine constituted under the said Act and granting diplomas and shall exercise and perform all the powers and functions of such Board under the said Act with respect to holding of such examinations and granting of diplomas.

●

1. Ins. by U.P. Act 14 of 1977 (w.e.f. 8.8. 1977).

Chapter - III

INSPECTION AND INQUIRY

8. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University or any constituent college or any Institute maintained by the University, including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment, also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such colleges or Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such College or such Institute. **Visitation**

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such :

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry,

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of

documents and material objects and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections [345 and 346 of the Code of Criminal procedure, 1973][1] and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it, a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

1. Substituted by U.P. Act No. 5 of 1977. Originally the words and figures were 'Sections 480 and 482 of the code of criminal Procedure 1898'.

(8) Without prejudice to the provision of sub-section (6) if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) of this section include any report of an inquiry held before the commencement of this Act, is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order that in supersession of the said Executive Council, an *ad hoc* Executive Council consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council, shall for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, and subject to the provisions of sub-section (11) exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Act.

(9) Nothing in section 20 shall apply to the composition of the *ad hoc* Executive Council that may be constituted under sub-section (8).

(10) Upon an order being made under sub-section (8) the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including *ex officio* members, shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

(11) During the period of operation of an order under sub-section (8), the provisions of this Act shall have effect subject to the following modifications namely;

(a) in section 20, *after* sub-section (5), the following sub-section shall be deemed *inserted* :

'(6) A meeting of the Executive Council shall be held at least once every two months.'

(b) in section 21, in sub-section (1), *after* the words 'subject to provisions of this Act', the words 'and subject also to the control of the Chancellor' shall be deemed *inserted*;

(c) in section 24, in sub-section (2), the words, 'and shall upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court' shall be deemed omitted.

(12) A fresh Executive Council shall be constituted in accordance with the provisions of section 20 with effect from the expiration of the period of operation of an order under sub-section (8).

(13) Any Statute, Ordinance, Regulation or order made during the period of operation of an order under sub-section (8), in accordance with the provisions of this Act, as deemed modified by virtue of the provisions of sub-section (11), shall, notwithstanding the expiration of such period, continue in force until amended, repealed or rescinded in accordance with the provisions of this Act.

●

Chapter-IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITIES

9. The following shall be the officers of the University— **Officers of the University**

(a) the Chancellor;

(b) in the case of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya only, the Pro-Chancellor;

(c) the Vice-Chancellor;

(d) in the case of Universities referred to in sub-section (1) of section 14, the Pro-Vice-Chancellor;

(e) the Finance Officer;

(f) the Registrar;

(ff) the Controller of Examinations, if any, appointed;[1]

(g) the Dean of the Faculties;

(h) the Dean of Students Welfare;

(i) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at meeting of the Court, and at any convocation of the University. **The Chancellor**

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

---

1. Ins. by U.P. Act 14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995).

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

Pro-Chancellor

11. (1) Maharaja Vibhuti Narain Singh of Varanasi shall continue to be the Pro-Chancellor for life, of the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya.

(2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the Vishvavidyalaya.

(3) The Pro-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.

The Vice-Chancellor

12. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (5) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members namely :

(a) one person (not being a person connected with the University, an Institute, a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or Hostel) to be elected by the Executive Council : [1][at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term.]

(b) one person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof, nominated by the said Chief Justice; and

1. Adeed by U.P. Act No. 5 of 1977.

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convenor of the committee.

[1][Provided that where the Executive Council fail to elect any person in accordance with clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.]

(3) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to

1. Ibid.

suggest any names within the time specified by the Chancellor [or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor][1] another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).

(6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(7) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office :

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may by determined by the State Government by gèneral or special order in that behalf.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund constituted under section 33.

[Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or

1. Inserted by U.P. Act. No. 5 of 1977 and be deemed always to have been inserted.

associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the university shall be limited to what it had been contributing before his appointment as Vice-Chancellor.][1]

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify–

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor;

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency;

provided that the Chancellor may, from time to time, extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any; or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior-most

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975 and be deemed always to have inserted.

Professor of the University in the case of the University of Gorakhpur and any University mentioned in or specified under section 38 or the senior-most Principal of an affiliated college in the case of any other University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the Provisions of this Act or abuses the Powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University; the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders—

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8).

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

Powers and duties of Vice-Chancellor

13. (1) The Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and shall–

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the Institutes maintained by the University and its affiliated and associated colleges;

---

1. Sub-section 12 and 13 Ins. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15.7.1994).

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University.

(d) be responsible for the maintenance, of discipline in the University.

(e) [1]be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the Academic Session of the University starts and ends on proper dates.

(2) He shall be an ex-officio member and Chairman of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the Chancellor [under section 10 and 68][2] possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Court, the Academic Council and the Finance Committee.

---

1. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Substituted by U.P. Act No. 29 of 1974.

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter [1]other than the appointment of teachers of University is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forth with report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances :

Provided further that if the officer, authoriy or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor :

Provided also that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which

---

1. Ins. by U.P. State Universities Amendment Act 1992 (Act No. 1 of 1992) (w.e.f. 22.11.1991)

decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an [1](× × ×) officer such appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier,

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

The pro-Vice-Chancellor

14. (1) This section applies only to the Universities of Lucknow, Allahabad and Gorakhpur and to any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the Gazette.

(2) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.

(3) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of Rupees three hundred per month.

1. The words 'or a teacher of the university' omitted by U.P. State Universities Amendment Act. 1992 (Act. No. 1 of 1992) (w.e.f. 22.11.1991).

(6) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

The Fianance Officer

15. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification published in the Official Gazette, and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Officer shall have the duty–

(a) to insure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investments);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

The Registrar

16. (1) The Registrar shall be a whole-time Officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed in accordance with, and his conditions of service shall be governed by, rules made under section 17.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex-officio Secretary of the Executive Council, the Court, the Academic Council, the Admission Committee [1](× × ×) and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for the transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be perscribed by the Statutes and Ordinances or required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995).

(5) [1][× × ×].

(6) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by rules made under section 17.

The controller of Examination

16-A. (1) This section applies only to the Universities of Lucknow, Allahabad, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur and Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur and to any other University specified in that behalf by the state Goverment by notification in the official gazette.

(2) The Controller of Examinations shall be a whole-time officer of the University.

(3) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government by a notification published in the official gazette and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(4) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be ex-officio Secretary of the Examination Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the statutes and ordinances as required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from

1. Sub-section (5) Omitted by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995).
   Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Registrar shall conduct the examinations and make all other arrangements necessary therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(5) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.

(6) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(7) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

(8) While the Controller of Examinations is for any reason unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

Duties of Registrar with respect to examinations in certain Universities

16-B. In the Universities to which the provisions of section 16-A do not apply, the duties of the Controller of Examinations shall be discharged by the Registrar and with respect to such Universities the Registrar shall be deemed to be the Controller of Examinations for the purposes of this Act.[1]

Centralisation of services of Registrars, Deputy Registrars, and Assistant Registrars

17. (1) The State Government shall, by rules made by notification in the Official Gazette, provide for the

1. New Section 16-A and 16-B Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995)

creation of a separate service of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars common to all the Universities and regulate the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service.

[1][Provided that any rules made under this Sub-Section may be made retrospectively to a date not earlier than october 31, 1975.]

(2) When any such service is created, the persons then serving on the administrative posts of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars, if confirmed before may 14, 1973, shall be absorbed in the service finally, and other persons serving on the said posts may, if found suitable, be absorbed in such service either provisionally or finally, and if, in the later case, any person is not absorbed finally, then his services shall be deemed to have been terminated on payment of one month's salary as compensation.

(3) Where any person referred in sub-section (2) is absorbed in the service, the conditions of service applicable to him shall not be less advantangeous than those applicable to him before his absorption, except that he shall be liable to transfer from one University to another.

[2][Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceeding against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption.]

(4) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before each

1. Added by U.P. Act No. 5 of 1977.

2. Added by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed to have been always inserted.

House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days extending in its one session, more than one successive session and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done hereunder.

18. The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any appointed* shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances. **Other Officers**

* Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995).

Chapter - IV-A

CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

Co-ordination Council

18. A (1) There shall be a Co-ordination Council which shall consist of the Chancellor as its Chairman, and the following other members, namely :

(i) the Vice-Chancellor of the Universities;

(ii) the Chairman of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education;

(iii) the Secretary to the State Government in the Judicial Department;

(iv) the Secretary to the State Government in the Finance Department;

(v) the Secretary to the Governor;

(vi) the Secretary to the State Goverment in the Higher Education Department who shall be ex-officio Co-ordinator of the Council.

(2) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by the University· Grants Commission, the powers and functions of the Co-ordination Council shall be as follows, namely :

(a) to recommend common courses of study for a Bachelor's Degree;

(b) to recommend in respect of the constitution of a Central Board of Studies for the foundation course or for each subject or group of subjects;

(c) to recommend ways and means of co-operation in academic programmes amongst the Universities;

(d) to consider and recommend matters of common interest to the Universities.

(3) The Co-ordination Council shall meet at Lucknow or at such other place and at such intervals as the Chancellor may determine.

18. B. (1) There shall be Central Board of Studies for the foundation course or such other subjects or group of subjects as the Chancellor may, on the recommendation of the Co-ordination Council, by order, direct. **Central Board of Studies**

(2) The Central Board of Studies for foundation course shall consist of—

(i) one teacher from each University not below the rank of a Reader or a Principal of an affiliated or associated college, nominated by the Vice-Chancellor, and

(ii) five educationists who are on the Eminent Professors' list of the University Grants Commission nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council.

(3) The Central Board of Studies for other subjects or group of subjects shall consist of—

(i) the Convenor, Board of Studies of such University in respect of the subject or group of subjects for which the Central Board of studies is to be constituted;

Provided that if a University does not have a Board of Studies in the subject or group of subjects, the Vice-Chancellor may nominate any teacher not below the rank of a Reader in the University or a Principal of an affiliated or associated college;

(ii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, teaching the subject up to the Post-graduate Level;

(iii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, teaching the subject up to degree Level;

(iv) three experts on the subject who are on the Eminent Professors' List of the University Grants Commission, nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council; and

(v) two other experts on the subject from outside the state nominated by the Chancellor.

(4) The Chancellor shall nominate the Chairman of the Central Board of Studies,–

(i) for foundation course from amongst the members referred to in clause (i) of sub-section (2), and

(ii) for other subject or group of subjects, from amongst the members referred to in clause (i) and (ii) of sub-section (3).

(5) The constitution of the Central Board of Studies and the nomination of the Chairman and the members thereon, other than ex-officio members, shall be notified by the State Government.

(6) The term of the Central Board of Studies shall be three years from the date of notification referred to in sub-section (5) and the term of the Chairman and the members shall be co-terminus with it :

Provided that the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term.

(7) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by the University Grants Commission, the functions of the Central Board of Studies shall be as follows, namely :

(a) subject to the recommendations of the Co-ordination Council and the approval of the

Chancellor, to prescribe the courses of study and examinations and the academic calender, and to recommend text books and other books for undergraduate level.

(b) to consider and report on any matter referred to it by the Co-ordination Council or the Chancellor; and

(c) to perform such other functions consistent with this Act within such time as the Chancellor may, by an order in writing, require it to perform.

(8) In carrying out its functions, the Central Board of Studies may consult such experts also who are not its members.

(9) The recommendations of the Central Board of Studies approved by the Chancellor shall come into force in respect of all Universities in the state with effect from the date as may be specified by the Chancellor.

(10) The Chancellor may at any time suspend, modify or'amend any decision of the Central Board of Studies on the ground that it does not fulfil the objectives set out in this section and may direct such Board to consider the matter afresh.

Secretarial Assistance

18-C. The Uttar Pradesh State Council of Higher Education Constituted under the Uttar Pradesh State Council of Higher Education Act, 1995, shall Provide Secretarial assistance to the Co-ordination council and Central Board of Studies.

●

Chapter IV-A Ins. by President Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995)

Chapter - V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University

19. The following shall be the authorities of the University—

(a) the Executive Council;

(b) the Court;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee;

(e) the Boards of Faculties;

(f) the Selection Committees for appointment of teachers of the University;

(g) the Admissions Committee;

(h) the Examinations Committee; and

(i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

Constitution of the Executive Council

20. (1) The Executive Council shall consist of—

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Deans of two Faculties, by rotation in the manner prescribed;

*(cc) two members from amongst the Professors or Readers belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members from

*(cc) Inst. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11.7.03).

amongst the Professor or Readers belonging to other backward classes of citizen.

*(d) (i) one professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean or a Head of Department, referred to in clause (c) above, one Reader and one Lecturer of the University, to be selected in the manner prescribed, and

---

*[1](d) in the case of universities of Kumaun and Bundelkhand and Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, the Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly—

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause (c) above one Reader and one Lecturer of the University, to be selected in the manner prescribed; and

(ii) three Principals and two teachers of affiliated colleges, to be selected in the manner prescribed, and in the case of any other university mentioned in or notified under Section (i) of Section 37.

(iii) Four Principals and four teachers of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed;]

[2](dd) in the case of Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur,

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause (c) above, one Reader and one Lecturer of the University to be selected in the manner Prescribed;

(ii) one representative of Maharana Pratap Shiksha Parishad, Gorakhpur to be elected by the said Parishad from amongst its members;

(iii) three Principals and two other teachers of affiliated colleges, to be selected in the manner Prescribed.

1. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1999 (w.e.f. 3.4.1999).
2. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1999 (w.e.f. 3.4.1999).

(ii) subject to the provisions of clause (j), one Principal and one Teacher of affiliated colleges, to be selected in the manner prescribed.[1]

*(e)

(f) four persons to be elected by members of the Court from among such of them not enrolled as students of or in the service of the University or an Institute or of a constituent college or an affiliated or associated college or a hall or hostel;

(g) four persons of academic eminence to be nominated by the Chancellor.

Provided that one of the persons so nominated shall be a person who is or has been a judge of the Supreme Court or High Court.[2]

[(h) Deputy Director (Sanskrit) Uttar Pradesh; and

(i) Director, Research Institute and or Librarian by rotation, between them, Director, Research Institute shall be first][3]

*(2) The term of office of members mentioned in—

---

*(e) In the case of a University mentioned in or notified under sub-section (1) of section 38—

(i) one Professor [other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in clause (c) above], one Reader and one Lecturer of the University, to be selected in the manner prescribed :

(ii) one Principal and one teacher of an affiliated college to be selected in the manner prescribed.

*(2) (i) clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) shall be one year;

1&3. Added by ordinance No. Shi (10) 8186/15-74 Dated December 11, 1974.

2. Ins. by U.P. Act 9 of 1988 (w.e.f. 15.1.1988).

(i) the term of office of members mentioned in clause (c) (cc) and (d) of sub-section (1) shall be one year and members mentioned in clauses (f) and thereof shall be three years.

(ii) clause (g) of sub-section (1) shall be two years.

(3) No person shall be a member of the Executive Council under clause (f) or clause (g) of sub-section (1) for more than two consecutive terms.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.

Explanation—For the purposes of this sub-section the expression 'graduate' shall include a person who has passed the Shastri Examination conducted by the University or the Government Sanskrit College, Varanasi or an examination recognised by the University as equivalent thereto.[1]

(5) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the

---

(ii) clause (f) and (h) (i) of sub-section (1) shall be three years; and

(iii) clause (g) of sub-section (1) shall be two years[2].

---

1. Ins. by ordinance, dated December 11, 1974.
2. Substituted by U.P. Act No. 10 of 1982 with effectfrom 8.7.1981.

University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or tutor or for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation-In this section 'relative' means the relations defined in section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Powers and duties of Executive Council

21. (1) The Executive Council shall be the Principal Executive Body of the University, and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely—

(i) to hold and control the property and funds of the University;

(ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;

(iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;

(iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(v) to prepare the budget of the University;

(vi) to award scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts;

(viii) [1][× × ×] to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;

---

1. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977. The word 'to direct the holding of examination and publication of result and' were omitted.

(ix) [1][subject to the provisions of section 37,] to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or enlarge the privileges of any college already affiliated, recognised or withdraw or curtail any such privilege;

(x) to arrange for and direct the inspection of Institutes, affiliated, associated or constitutent colleges, halls and hostels and other places of residence of students;

(xi) to direct the form and use of the common seal of the University;

(xii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xiii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

(xiv) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investment from time to time;

(xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xvi) to enter into, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University;

(xvii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes,

---

1. Added by U.P. Act No. 5 of 1977.

constituent, affiliated and associated colleges in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise, nor shall any money be borrowed or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University, or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government,

[1][or except in accordance with any general or special order of the State Government.]

[2][(3-A) The Executive Council may, with the prior approval of the University Grants Commission and the State Government create supernumerary post of a teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignment to retain his lien and seniority as such teacher and also

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975.

2. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits if any, in accordance with the Statutes.

Provided that no Salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment :]

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute or constituent college or affiliated or associated college shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council, shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the numbers, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court the action taken or, as the case may be, the reasons for non-acceptance of the resolution.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an Officer or any other authority of the University or to a Committee appointed by it.

The Court

22. (1) The Court shall consist of the following members namely—

Class I—Ex officio Members

(i) the Chancellor;

(ii) the members of the Executive Council;

(iii) the Finance Officer;

(iii) (a) the Inspector of Sanskrit Pathshalas, U.P.;

Class II—Life Members

(iv) in the case of an existing University every person who was a life member of the Court or Senate immediately before the commencement of this Act;

Class III—Representatives of Teachers, etc.

(v) all Heads of Departments of the University and of constituent colleges maintained by it;

(vi) [× × ×][1]
(vii) [× × ×]
(viii) [× × ×]

(ix) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;

(x) [× × ×][2]

1,2. 1 and 2 omitted by ordinance No Shi (10)/8186/15-74 Dated 11 December 1974. Originally sub sections (vi), (vii), (viii), (x) (xi) and (xii) was as follows :
(VI) the Deans of Faculties of Medicine and Engineering, if they are not members of the Executive Council;
(VII) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls of the University and of its constituent colleges and Institutes to be selected by rotation in the manner prescribed;
(VIII) all Principals of constituent colleges maintained by the State Government;
(X) two representatives of the managements of the affiliated or associated colleges to be selected by rotation in the manner prescribed;

Class IV—Registered Graduates

*(xi) ten representatives of the Registered Graduates possessing degree not lower than Acharya to be elected by the Registered Graduates of such standing as may be prescribed from amongst themselves according to the system of proportional representation by means of single transferable vote.

Class V—Representation of Students

*(xii) one student from each of the Faculties who having secured the highest marks in that Faculty at the preceding Shastri Examination of the University is pursuing a course of study for the Acharya Examination in the University.

Provided that for so long as no Faculties are constituted, two students shall be members of the court. Under this clause who having secured the highest marks at the preceding Shastri Examination of the University are pursuing a course of study for the Acharya Examination in the University.

Class VI—Nominees of Chancellor

(xiii) [× × ×][1]

---

*(xi) fifteen representatives of registered graduates to be elected by registered graduates of such standing as may be prescribed from amongst such of them as are not in the service of the University or of an Institute or of a constituent college or in the service or connected with the management of affiliated college, associated college, hall or hostel.

*(xii) one student from each of the Faculties, who having secured the highest marks in that Faculty at the preceding Degree examination of the University is pursuing a course of study for a Postgraduate Degree.

---

1. Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974. Prior to it the sub-section (xiii) of Class VI reads as follows—

Class VII—Representatives of the State Legislature;

(xiv) two members of the Legislative Council to be elected by it;

(xv) five members of the Legislative Assembly to be elected by it.

(2) The term of office of the members of each class except Classes I, II mentioned in sub section (1) shall be three years and the term of the members of the said Class V shall be one year.

Powers and duties of the Court

23. The Court shall be an advisory body and subject to the provisions of this Act, it shall have the following powers and functions, namely—

(a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report thereon;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and

(d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

Meeting of the Court

24. (1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court.

'Not more than ten nominees of the Chancellor of whom at least five shall be nominated to represent fine arts, culture, industry, commerce, agriculture, horticulture, learned bodies and learned profession of the region'.

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court, convene a special meeting of the Court.

Academic Council

25. (1) The Academic Council shall be the Principal Academic Body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and of the Ordinances—

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The academic Council shall consist of the following members,namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Deans of all Faculties, if any;

(iii) all Heads of Departments of the University and where there is no department in a subject in the University, the senior-most teacher from affiliated colleges representing that subject on the Faculty concerned;

(iv) all Professors of the University who are not Heads of Departments;

[(v) Director, Research Institute.

(vi) Nirikshak, Sanskrit Pathshala, Uttar Pradesh.][1]

---

1. Substituted by ordinance No, (shi) (10) 8186/15-74 Dated September 11 of 1974.

(vii) three Principals of affiliated or associated colleges to be selected by rotation in the manner prescribed;

(viii) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;

(ix) the Dean of Student Welfare;

(x) the Librarian of the University; and

(xi) five persons of academic eminence to be co-opted in the manner, prescribed.

*Provided that if there is no member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the other backward classes of citizens in the Academic Council constituted under this sub-section, the Vice-Chancellor may nominate two members belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members belonging to other backward classes of citizens from amongst the teachers of the University by rotation in the manner prescribed.

(3) Subject to the provisions of section (65)[1] the term of office of members other than ex-officio members, shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

26. (1) The Finance Committee shall consist of—

(a) the Vice-Chancellor;

[2](aa) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department;

[3](aaa) the Secretary to the State Government in the Finance Department;

(b) the Pro-Vice-Chancellor if any;

---

*Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11.7.2003).

1. Substituted for '60' by U.P. Act No. 5 of 1977.

2,3. Ins. by President Act No.4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

(c) the Registrar;

[1](cc) the Controller of Examinations.

(d) one person, not being a member of the Executive Council or the Academic Council or a person in the service of the University or an Institute or of a constituent college, or a member of a managing committee of any affiliated or associated college, or a person in the service of such college, to be elected by the Executive Council; and

(e) The Finance Officer who shall also be the Secretary of the Committee.

[1](1-A) A member referred to in clause (aa) or clause (aaa) of sub section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, depute an officer not below the rank of a Joint Secretary to the State Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.

(2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

(3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

---

1. Ins.by U.P. Act No.14 of 1995 (w.e.f. 25.2.1995).
2. Sub-section (1-A) by President Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

[1](4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendations of the Finance Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

The Faculties

27. (1) The University shall have such Faculties as may be prescribed.

(2) Each faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinance.

(3) There shall be a board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years:

[2][Provided that in the case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts college, the Principal of such college shall be the ex-officio Dean of Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts Faculty, as the case may be.]

---

1. Sub-section (4) Ins. by President Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).
2. Substituted by U.P. Act No. 29 of 1974.

Provided further that where there is more than one such college, the Deanship of each such faculty shall rotate amongst the Principals of such colleges :

[1][Provided also that if there is no Professor in the faculty, the office of Dean shall be held by Readers and if there is no Reader, then by other teachers in that faculty, by rotation in order of Seniority.]

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for—

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the faculty; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

[2][(6) In each Department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by statutes :

---

1. Substituted by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Substituted by U.P. Act No. 29 of 1974. The original Sub-Section (6) was as follows—
   (6) (a) each Department of teaching in the University, there shall be a Head of that Department who shall hold office for a term of three years.
   (b) The post of the Head of Department shall rotate amongst the Professors according to seniority;
   Provided that in the case of Departments—
   (i) where there is only one Professor, the Headship shall rotate between the Professor and Readers of at least-five years' standing according to seniority;
   (ii) where there is no Professor, the Headship shall rotate amongst Readers of at least five years standing according to seniority; and
   (iii) where there is no Professor but there is only one Reader the Headship shall rotate amongst the Reader and the Lecturers of at least ten years' standing according to seniority.

Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this Sub-Section shall, subject to the provisions of this Act and the statutes, continue to hold office on the same term and conditions as he held immediately before the said date.

(7) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the oridinances.

(8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Board of Studies in respect of different subejcts of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

Admissions Committee

28. (1) There shall be an Admissions Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Admissions Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of *sub-section* (5), the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University and may also nominate a person or a sub-committee as the admitting authority in respect of any course of study in an Institute or a constituent college maintained by the University.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the Committee may issue any direction as respects criteria or methods of admissions (including the number of students to be admitted)[1] to constituent

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975.

colleges maintained by the State Government and to affiliated or associated colleges, and such directions shall be binding on such colleges.

[1][(5) Notwithstanding anything contained in any other Provision of this Act—

[2](a) reservation of seats for admission in any course of study in University, Institute, constitutent college, affiliated college or associated college for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes of citizens may be made and regulated by such orders as the State Government may by notification, make in that behalf :

Provided that reservation under this clause shall not exceed fifty percent of the total number of seats in any course of study;

Provided further that reservation under this clause shall not apply in the case of an institution established and administered by minorities referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution :

Provided also that the reservation under this clause shall not apply to the category of other backward classes of citizens specified in schedule 11 to the Uttar Pradesh Public Services (reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994;

(b) admission to Medical and Engineering College and to courses of instruction for degrees in Education or Ayurvedic and Unani System of Medicine

---

1. Substituted by U.P. Act No. 15 of 1980 with effect from 1st January 1979, originally Sub-section 5 was as follows—
   Admission to medical and engineering College shall be regulated by such orders as the State Government may by notification in the Gazette, make in that behalf.
2. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15.7.1994).

(including the number of students) to be admitted, shall be regulated by such orders (which if necessary may be with retrospective effect, but not effective prior to January, 1, 1979) as the State Government may, by notification make in that behalf.

Provided that no order regulating admissions under this Sub-section shall be inconsistent with the rights of minorities in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice.]

[1](c) in making an order under clause (a), the State Government may direct that any person who wilfully acts in a manner intended to contravene, or defect the purposes of the order shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one thousand rupees, or with both, as may be specified in the order.

(5-A) Every order made under clause (a) of Sub-section (5) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of Sub-section (91) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

(6) No student admitted to any college in contravention of the provision of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University, and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

Examinations Committee

29. (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.

1. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15.7.1994).

(2) Except as provided in sub-section (2) of section 42 the Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely—

(a) to appoint examiners and moderators and if necessary, to remove them;

(b) to review from time to time the results of University examinations and submission of reports, thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to scrutinise the list of examiners proposed by the Bȯard of Studies, finalise the same and declare the results of the University.

(3) The Examinations Committee may appoint such number of Sub-committees as it thinks fit, and in particular, may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

[1][(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or as the case may be, for a Sub-committee or any person to whom the Examination Committee has delegated its power in this behalf under Sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination].

30. The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed. **Other authorities**

---

1. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

Chapter - VI

APPOINTMENT AND CONDITION OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

Appointment of teachers

***31.** (1) 'Subject to the Provisions of this Act, the teachers of the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided, and teacher of affiliated colleges shall be appointed in the manner prescribed'. [The Selection Committee shall meet as often as necessary].

(2) The appointment of every such teacher, Director and Principal not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year.

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed—

(a) in the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council

---

*Subject to the provisions of this Act, the teachers of the University and the teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government), or [by a local authority][1], shall be appointed by the Executive Council or the Management of the affiliated or associated college, as the case may be, on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided. [The Selection Committee shall meet as often as necessary][2]

1. Words 'or by a local authority' omitted by U.P. Act No. 22 of 1978 as well as in the entire chapter VI.
2. Ins. by U.P. Act. No. 1, 1992 (w.e.f. 22.11.1991)

made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the Head of the Department), the Head of the Department concerned.

(b) in the case of Principal of an affiliated or associated college, except by order of the Management; and

(c) in the case of any other teacher of an affiliated or associated college, except by order of the Management made after considering the report of the Principal and (unless such teacher is the senior-most teacher of the subject), also of the senior-most teacher of the subject.

[1][Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated;

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under clause (a) of the first proviso or, as the case may be, until the approval of the Vice-Chancellor under section 35 is communicated to the teacher concerned.]

(3) *(a) In the case of teacher of the University other than a Professor, Vice-Chancellor in consultation

*(a) In the case of teacher of the University other than a Professor, the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the Faculty and Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf and in the case of a teacher of an affiliated or

1. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

with the Dean of the Faculty, if any, and the Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor may make officiating appointment in a Vacancy caused by the grant of Leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or Post likely to last for more than six months without such reference.[1]

[2][(b) where before or after the commencement of this Act any teacher is appointed (after reference to a selection committee) to a temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post or to a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls

---

associated college the Management in consultation with an expert nominated by the Vice-Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

---

1. Subs. by ordinance. Dated December 11, 1974.
2. Substuted by U.P. Act No. 5 of 1977 originally Sub-section 3 (b) reads as follows—
'where before or after the commencement of this Act, any teacher is appointed (after reference to a selection committee) to a temporary post likely to last for more than Six months and such post is subsequently converted into a permanent post, the Executive council or the Management, as the case may be, may without fresh reference to the Selection committee, appoint such teacher in a Substantive Capacity to that post'.

vacant in the same department, then unless the Executive Council or the Management, as the case may be,decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to that post without reference to a selection committee.

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, and he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a selection committee.

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly.]

[1][(c) any teacher of the University who was appointed as Lecturer/Part Time Lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of a short term or Part Time arrangement in accordance with the provisions of the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Executive Council, if any substantive Vacancy of the same cadre and grade in the same department is available if such teacher—

(i) is serving as such on December 31, 1997 continuously since such initial appointment by way of Short Term/Part Time arrangement;

1. Subs. by U.P. Act No. 23 of 2004 (w.e.f. 20.5.2004).

[1][(ii) Possesses the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant statutes in force on the date of substantive appointment;

(iii) has been found suitable for regular appointment by the Executive council.

A teacher appointed by way of short term/ Part Time arrangement as aforesaid who does not get a susbtantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Executive Council may specify.

(4) (a) The Selection Committee for the appointment of a teacher of the University (other than the Director of an Institute and the Principal of a constituent college), shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(ii) the Head of the Department concerned :

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the Professor in the Department and if there is no Professor, by the Dean of the Faculty;

[2][provided further that where the chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case, a selection committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the selection committee in such manner as he thinks fit.]

---

1. Subs. by U.P. Act No. 23 of 2004 (w.e.f. 7.6.2004).
2. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

(iii) in the case of a Professor or Reader, three experts, and in any other case, two experts to be nominated by the Chancellor;

[1][(iv) × × × ×]

(v) in the case of appointment of teachers of an Institute or constituent college, the Director of the Institute or the Principal of the constituent college, as the case may be.

(b) The Selection Committee for the appointment of the Director of an Institute or the Principal of a constituent college shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof;

(ii) two experts to be nominated by the Chancellor.

[2][(c) × × × ×]

[3][(d) × × × ×]

---

1. Omitted by ordinances No. shi (10) 8186/15-74 dated December 11, 1974. Originally sub-section (iv) reads as follows—

   '(iv) in the case of appointment of teachers in a department of a Constituent Medical College upgraded under any scheme sanctioned by the Central Government, one nominee each of the Central Government and the State Government'.

2. Omitted by ordinance No. shi (10) 186/15-74 dated December 11, 1974.

3. Ibid omitted originally Section 4 (c) and (d) read as follows—

   (c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated or an associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by a local authority shall consist of—

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding faculty in Indian

---

(i) the Head of the Management, or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman,

(ii) one of the Deans (or Professor) of those Faculties, which comprise subjects taught in the college, to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iii) one member of the Management nominated by the Management; and

(iv) two experts to be nominated by Vice-Chancellor :

Provided that in the case of appointment of the Principal of an affiliated college, the Dean of Faculty shall not sit in the Selection Committee, if he is himself a teacher of that college;

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30, of the Constitution of India the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor.

(d) The Selection Committee for the appointment of other teachers of affiliated or associated college other than a college maintained exclusively by the State Government [or by a local authority] shall consist of—

(i) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him, who shall be the Chairman;

(ii) the Principal of the college and another teacher of the college nominated by the Principal;

(iii) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor;

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor.

Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

[1][(b) × × ×]

(c) A panel referred to in clause (a) [2][× × × ×] shall be revised after every three years.

Explanation-I—For the purposes of this sub-section, a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a postgraduate degree or for Part I or Part II thereof shall be deemed to be a separate subject of study.

Explanation-II—Where the post of teacher to be selected is common to more than one subject of study, the expert may belong to either of such subjects of study.

[3][(d) The Chancellor or the Vice Chancellor, as the case may be, may intimate in a specified order a larger number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the selection committee. In such cases any person whose name appears higher in the specified order not being available for a meeting of Selection

1. Omitted by U.P. ordinance dated 11 December, 1974. Originally the provision reads as follows—
'The Board of each faculty shall maintain a standing panel of Sixteen or more experts in each Subject of Study, and every expert to be nominated by the Vice-Chancellor under Sub-Section (4) shall be a person whose name is borne on the panel.'
2. Omitted by U.P. ordinance dated 11 Dec. 1974 omitted the word 'or clause (b).'
3. Inserted byU.P. Act No. 29 of 1974.

Committee, a person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the committee.]

(6) No recommendation made by a Selection Committee referred to in sub-section (4), shall be considered to be valid unless one of the experts had agreed to such selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of such Committee.

[1][Provided that in the case of a Professor or a Reader the persons present to form the quorum must include at least two experts.]

[2][(7-A) It shall be open to selection committee to recommend one or more but not more than three names for each post.]

(8) (a) In the case of appointment of a teacher of the University, if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement, and his decision shall be final.

[3]'provided that if the Executive Council does not take a decision on the recommendations of the Selection Committeee within a period of four months from the date of the meeting of such committee then also the matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final'.

---

1. Inserted by U.P. Act No. 4 of 1995 (w.e.f. 17.12.1994).
2. Added by U.P. Act. No. 29 of 1974.
3. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

[1](aa) Where the failure of the Executive Council to take a decision within the period specified in the proviso to clause(a) is not attributable to any fault of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council, to take a decision within such time as the Chancellor may from time to time allow, and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for that purpose :

Provided that—

(i) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the selection committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and his decision shall be final;

(ii) If the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor, the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be final;

[2][× × × ×]

---

1. Inserted by U.P. Act No. 4 of 1995 (w.e.f. 17.12.1994).
2. Omitted by U.P. ordinance Dated 11 December 1974. originaly the provision reads as follows—

   (b) In the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, if the Management does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Vice-Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final :

   Provided that in the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, if the Management does not agree with the recommendations made by a Selection Committee, the Management shall have the right to appoint another Selection Committee and the decision of that Committee shall be final.

*(9) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University on the ground of interest for participating in the deliberations of such committee and other matters relating to appointment of such teachers shall be prescribed by the statutes.

(10) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

(11) [1][× × × ×]

---

*(9) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University and the Principals and the other teachers of such affiliated or associated colleges on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such Principals and teachers shall be prescribed by the Statutes.

1. Omitted Ibid. originally the provision reads as follows—

(11) In the case of colleges established and administered by a Minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the Management of the College may appoint a teacher only after the Vice-Chancellor is satisfied that—

(i) the Candidate possesses the minimum qualificaitons and experience prescribed for the post, and'

(ii) the procedure laid down in the Act and the Statutes for the selection of the teachers has been followed;

And Inserted provision by Act No. 5 of 1977 read as follows—

11 (a) No teacher recommended by the Selection Committee shall be appointed by the Management of an affiliated or associated College (other than a college maintained exclusively by the State Government) unless prior approval of the Vice-chancellor has been obtained.

(12) [1]'Notwithstanding anything contained in this Section, the Executive Council with the prior approval of the Chancellor or the Management with the prior approval of the Vice-Chancellor, may appoint on deputation to the post of a teacher, any Government servant who possesses the qualifications prescribed for the post.'

(13) [2][× × × ×]

[3][31-A

Personal Promotion to Teachers of University

(b) The Management shall as soon as possible, after the meeting of the selection committee, submit the recommendations of the committee, along with other relevant documents to the Vice-Chancellor for approval.

•(c) The Vice Chancellor, if he is satisfied that the candidate recommended by the Selection Committee does not possess the minimum qualification or experience prescribed, or that the procedure laid down in the Act for the Selection of the teacher has not been followed shall convey to the Management his disapproval.

Provided that if the Vice-Chancellor does not convey his disapproval within a period of one month from the date of receipt of the documents referred to in clause (b) or does not send to the Management any intimation in connection therewith, he shall be deemed to have approved of the proposal.

---

1. Added by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Omitted by U.P. Act No. 10 of 1983 with effect from 18.7 81. Originally sub-section (13) reads as follows—

   'The Principal of the King George's Medical College, Lucknow shall be appointed on the recommendations of the Selection Committee constituted under Clause (b) of Sub-section (4) from amongst the Professors of the said college, and the provisions of Sub-section (10) shall not apply in relation to such selection'.
3. Added by U.P. Act No. 9 of 1985 with effect from 10.10.84.

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, [1]a Lecturer in the University appointed under-section 31, or a Reader in the University appointed under Section 31, or promoted under this section, who has put in such length of Service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Reader or Professor.

(2) Such personal promotion shall be given on the recommendations of the Selection Committee, Constituted under clause (1) of Sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Nothing contained in this Section shall affect the posts of the teachers of the University filled by the direct appointment in accordance with the provisions of Section 31.]

Promotion to the post of Associate Professor and Professor

[2][**31-AA.** (1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed in the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow or an Associate Professor, substantively appointed, or promoted under this Section, in the said Faculties of the said University, who has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personal promotion respectively to the post of Associate Professor or Professor.

(2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendations of the selection committee, constituted under clause (a) of sub-section

1. Subs. by President Act No. 4 1996 (w.e.f. 11.7.1995).
2. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19.9.1997).

(4) of section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation—With regard to the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow, the word 'Reader' referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 31 shall be construed as 'Associate Professor'.

[1][(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or in any other provisions of this Act, every person who was promoted to the post of Associate Professor or Professor in a Faculty referred to in sub-section (1) in accordance with the order No. 842/15-10-97-11 (7)/96, dated April 11, 1977 issued by the State Government and is continuing in Service as such on the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (third Amendment) Act, 1999 shall be deemed to have been promoted to such post under sub-section (1) from the date of such promotion.]

Special Provision with regard to appointment

[2]**[31-B.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, appointment to the Post of Principal or Teacher of the Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad shall be made in accordance with the rules and bye-laws of the Motilal Nehru Regional Engineering College Society, Allahabad.

(2) All appointments made before the commencement of the Uttar pradesh State Universities (Amendment) Act, 1998 in accordance with the Provisions of sub-section (1) shall be deemed to have

1. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1999 (w.e.f. 3.4.1997).
2. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 12.2.1998).

been made under the said sub-section as if the provisions of the said sub-section were in force at all material times.]

Contract of appointment of teachers of the University

32. (1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act, all contracts in force, immediately before such commencement, shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances be deemed to have been modified by the said provisions.

(4) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument, teachers of any constituent medical college shall not have the right of private practice, except to such extent, if any and subject to such conditions and restrictions as the State Government may by general or special order specify.

Pensions, Provident Fund, etc.

33. The University and every affiliated or associated college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be [1][specified by general or special order by the State Government] such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be, paid pension or

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975.

gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigilator as defined in Uttar Pradesh State Universities (Provisions Regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Limits of additional remunerative work permissible to teachers

34. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University or for an affiliated or an associated college for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or any body other than Public Service Commission [1][× × × ×] shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher of the University or of an affiliated or associated college shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with any examination.

Explanation–The words 'remunerative offices' include the offices of Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintendent, Librarian; and any office in the National Cadet Corps, National Sports Organisation, National Social Service Scheme and University Employment Exchange.

Conditions of service of teachers of affiliated or associated colleges other than those maintained by Government or local authority

[2]'**35.** The conditions of Service of teachers of affiliated Colleges shall be such as may be prescribed.'

---

1. Words 'and the holding of remunerative offices by them' were omitted by U.P. Act. No. 39 of 1974.
2. Inserted by U.P. ordinance dated 11 December 1974. Originally the provision reads as follows :

   (1) Every teacher in an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority) shall be appointed under a written contract which shall contain such terms and

conditions as may be prescribed. The contract shall be lodged with the University and a copy thereof shall be given to the teacher concerned, and another copy thereof shall be retained by the college concerned.

(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remove a teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner shall, before it is communicated to him be reported to the Vice-Chancellor and shall not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1), of Article 30 of the Constitution of India, the decision of the management dismissing, removing or reducing in rank or punishing in any other manner any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor, but, shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to.

(3) The provisions of sub-section (2) shall also apply to any decision to terminate the services of a teacher, whether by way of punishment or otherwise but shall not apply to any termination of service on the expiry of the period for which the teacher was appointed :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) Article 30 of the Constitution of India, the decision of the management terminating the service of any teacher shall not require the approval of the Vice-Chancellor but, shall be reported to him and unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decision shall not be given effect to.

(4) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to apply to an order of suspension pending inquiry, but any such order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor :

Pvovided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, such order may be

Tribunal of Arbitration

36. *(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in section 32 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the Officer or Teacher concerned and one member (who shall act as Convenor) nominated by the Chancellor.[1]

(2) If for any reason a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate

---

stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor only if the conditions prescribed for such suspension are not satisfied.

(5) Other conditions of service of teachers of such colleges shall be such as may be prescribed.

*(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in section 32 or section 33 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of the following members namely :

(a) in the case of an officer or teacher of the University, one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned, and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor;

(b) in the case of a teacher of an affiliated or associated college one member nominated by the Management of the college, one member nominated by the teacher concerned, and one member (who shall act as convener) nominated by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the Convener shall be selected by the nominees of the management and the teacher concerned out of a panel of five persons suggested by the management and approved by the Vice-Chancellor :

Provided further that in the event of their failure to appoint the Convener within the time prescribed the Vice-Chancellor shall nominate a Convener out of the panel.

---

1. Subs. by ordinance, dated December 11, 1974.

person or body concerned shall nominate another person in accordance with provisions of sub section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any court.

(4) The Tribunal of Arbitration shall have the power—

(i) to regulate its own procedure;

(ii) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

(iii) to award salary to the officer or teacher concerned after deducting therefrom such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to an arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration :

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3) shall be executable by the lowest court having territorial jurisdiction as if it were a decree of that court.

●

Chapter - VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

37. (1) [1][This section shall apply to the Universities of Agra, Gorakhpur, Kanpur and Meerut and such other Universities (not being the Universities of Lucknow and Allahabad) as the State Government may by notification in the Gazette, specify]. **Affiliated Colleges**

(2) The Executive Council may [× × × ×][2] admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (8), withdraw or curtail any such privilege :

[3]'Provided that if in the opinion of the Chancellor, a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the Chancellor may sanction grant of affiliation to that college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit :'

Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation'.

---

1. Apply on Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya by ordinance dated 18 December 1974.
2. Inserted by U.P. Ordinance dated 11 December 1974.
3. Ins. by U.P. Act 1 of 2004 (w.e.f. 11.7.2003)

[1][× × × ×]

(3) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University for co-operation in the work of teaching or research.

(4) Except as provided by this Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the

1 Omitted by U.P. Act No. 21 of 1975 Originally the provision reads as follows—

Provided that previous sanction of the Chancellor shall not be required for the grant of an application of an affiliated college for permission to start instruction in a subject, being a subject in which instruction is not already given in that college, for a bachelor's degree in respect of which the college is already affiliated.

Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

[1][(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (8), if the Management of an affiliated College has failed to fulfill the conditions of affiliation, the Chancellor may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.]

[2][(10) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section (2)].

Associated College

38. (1) This section shall apply to the Universities of Lucknow and Allahabad and such other Universities (not being the Universities of Agra, Gorakhpur, Kanpur or Meerut or the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya) as the State Government may, by notification in Gazette specify.

(2) Associated colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(3) It shall be lawful for an associated college to make arrangements with any other associated

1. Inserted by U.P. Act. No. 5 of 1973.
2. Inserted by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11.7.2003).

college or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(4) The conditions of recognition of an associated college shall be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council, but no associated college shall, except with the previous approval of the Chancellor, be authorised to impart instruction for post-graduate degrees :

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the Chancellor, be granted affiliation by any University referred to in section 37, anything in section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

(5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the management that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the

removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.

[1][(8) Notwithstanding anything in this section or in sections, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the state Government in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which section 37 applies].

Disqualification for membership of management

39. A person shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or the execution of any work for such college :

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hostel of the college or as Proctor or Tutor or for any duties of a similar nature in relation to the college.

Explanation–The term 'relative' shall have the meaning assigned to it in the *Explanation* to section 20.

Inspection, etc., of Affiliated and Associated Colleges

40. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or

1. Inserted by U.P. Act No. 19 of 1987 Originally sub-section 8 reads as follows—
'Notwithstanding anything in this section or in section 5, a college situated within the area of any' University to which this section applies, may with the consent of that University be admitted to the privileges of affiliation by any University to which section 37 applies.

persons as it may direct, of any affiliated or associated college, including the buildings, laboratories and equipments thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the same and a representative, appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898 and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government may communicate to the Management, the result of such inspection or inquiry and may issue directions as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such directions.

(5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about any communication made by it to the Management under sub-section (4).

(6) The State Government may, at any time call for any information from the Management or Principal of an affiliated or associated college in connection with such inspection or inquiry.

Constituent colleges

41. (1) Constituent colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes.

Autonomous college

42. [1][× × × ×]

Working Men's colleges

43. [2][× × × ×]

---

1. Omitted by ordinance Dated 11 December 1974.

   Originally Section 42 reads as follows—

   42. (1) The University may grant in the manner prescribed, to an affiliated or associated college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University, and holding examination in the courses so varied.

   (2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examinations conducted by such college shall be determined in each case by the University.

   (3) Such a college shall be declared in the manner perscribed as an autonomous college.

2. Omitted by U.P. ordinance dated 11 December 1974.

   Originally Section reads as follows—

Institutes

44. The University may establish one or more Institutes to organize and conduct teaching and research in any subject.

---

43. (1) The University may, under such conditions as may be prescribed, recognize an affiliated or associated college as a 'Working Men's College' for the purpose of providing courses for degrees to persons, otherwise eligible for admission to such courses, who may be unable to be enrolled as whole-time students by reason of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in any other form of service.

(2) The courses for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the duration prescribed for such courses for other students.

(3) Each such course shall be organized separately.

Chapter - VIII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

Admission of students

45. *(1) No student shall be eligible for admission to any course of study for a degree, unless he has passed the Uttar Madhyama or Sampurna Madhyama Examination of Government Sanskrit College, Varanasi or an Examination recognised by the University as equivalent thereto and possessing such further qualification, if any, as may be laid down in the ordinances.

(2) The conditions under which students may be admitted to the diploma courses of the University shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The University shall have the power to recognize (for the purposes of admission to a course of

---

*(1) No student shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless—

(a) he has passed—

(i) the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of any University or Board incorporated by any law for the time being in force; or

(ii) any examination, or any degree conferred by any other University being an examination or degree recognised by the University, as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and

(b) possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Ordinances :

Provided that the University may prescribe by Ordinances any lower qualification for admission to a degree in Fine Arts.

study for a degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University or, as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination conducted by any other authority.

(4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University or an Institute or a constituent college or an affiliated or associated college in accordance with the provisions of the Ordinances.

Bar of charging any donation, etc., for admission to a college

46. No person connected with the management of an affiliated or associated college and no Principal or other teacher or other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Ordinances, from or on behalf of any pupil [1][as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college.]

A. Contribution and donations to Colleges

[2]**[46.-A.**

Where a contribution or donation, either in cash or in kind is taken or received by any affiliated or associated college except maintained exclusively by the State Government or a local authority the contribution or donation so received shall be utilised only for the purpose for which it was given to it and in the case of a College maintained exclusively by the State Government any cash contribution or donation shall be credited to the personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.]

1. Substituted by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Ibid. Inserted.

47. (1) This section shall apply to the Universities of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and such other Universities as the State Government may by notification specify.

Halls, hostels and delegacy of the University

(2) The halls and hostels of the University shall be–

(a) those maintained by the University and named in the Statutes :

(b) those recognised by the Executive Council on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances.

(3) The warden and other staff of the halls and hostels shall be appointed in the manner provided by the Ordinances.

(4) The Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of a hall or hostel which is not maintained in accordance with the conditions referred to in clause (b) of sub-section (2) :

Provided that no such action shall be taken without giving to the management of such hall or hostel an opportunity of making a representation against the proposed action.

(5) There thall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution, power and duties of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.

48. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Examinations Committee shall direct the arrangements for the conduct of examinations.

Examinations

●

Chapter - IX

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

Statutes

49. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for :

(a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling of vacancies in their membership, and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

[1][(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other Teachers of the University and of affiliated and associated Colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules

---

1. Substituted byU.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed always to have been substiuted. The original sub-section 'd' reads as follows—

'the classification and manner of appointment of teachers of the University, the maintenance by them of their annual academic progress report, and the rules of conduct to be observed by them and other conditions of their service.'

of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of Service (including provisions relating to compulsory retirement.)

(e) the recruitment and the conditions of service of persons appointed to other posts under the University,

(f) the constitution of pension or provident fund or the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the institution of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganisation of Faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganisation of halls and hostels maintained by the University;

(m) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation or recognition by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;

(n) the recognition of the Management of any affiliated or associated college;

[1][(o) the number, minimum qualifications and experience, the emoluments and other conditions of

---

1. Substituted by U.P. Act No. 5 of 1977.
Originally sub-section 'o' reads as follows—

service, including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated or associated college, and the preparation and maintenance of record of their service]

(p) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;

(q) the qualification, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates;

(r) the holding of convocation, if any; and

(s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes how made

50. (1) The First Statutes of the University shall be made by the State Goverment by notification in the gazette and in the case of any existing University, for so long as the First Statutes are not so made, the Statutes as in force immediately before the commencement of this Act in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State Government may by notification in the Gazette provide, continue in force and any such adaptation or modification shall not be called in question.

[1][(1-A) The State Government may by notification in the Gazette amend whether by way of addition, substitution or omission, the First Statutes at

---

'the classification and manner of appointment and the conditions of service of teachers of affiliated or associated colleges as the case may be including the rules of conduct to be observed by them.'

1. Inserted by U.P. Act No.29 of 1974.

any time [1](up to Demember 31, 1990) and any such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of such commencement.]

[2][(1-B) Until the First statutes of the Purvanchal University are made under this section, the statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

[3][(2) The Executive council may, at any time [4](after December 31, 1990) make new or additional statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1 A).]

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statutes affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinon so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of a Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.

---

1. Substituted by U.P. Act No. 9 of 1988 and shall be deemed always to have been Substituted.
2. Inserted by U.P. Act No. 29 of 1987.
3. Substituted by U.P. Act No. 29 of 1974, originally Sub-section (2) reads as follows—

   'the Executive Council may from time to time make new or additional statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in Sub-Section (1).'
4. Substituted by U.P. Act No. 9 of 1988.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

[1][[2](6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or State or National Education Policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may, with the assent of the Chancellor, make new or additional Statutes or amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1 A).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional statutes inconsistent with such statutes.]

Ordinances

51. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the ordinances shall provide for the following matters namely–

1. Ins. by U.P. Act 4 of 1995 (w.e.f. 17.12.1994).
2. Subs. by U.P. Act 9 of 1998 (w.e.f. 19.9.1997).

(a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University.

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;

(d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes;

(e) the conditions of residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

(f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University.

(g) the maintenance of discipline among the students of the University;

(h) all matters relating to correspondence courses and private canditates;

[1][(i) the formation of parent-teachers association.]

(j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or associated college for any purpose :

(k) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instructions in halls and hostels;

---

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(l) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(m) the conduct of examinations;

(n) the remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;

(o) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for, by the Ordinances.

Ordinance how made

52. (1) The First Ordinances of each existing University shall be the Ordinances as in force immediately before the commencement of this Act in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act :

Provided that for the purpose of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the provisions of this Act and the Statutes, the Chancellor may by order make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and provide that the Ordinances shall as from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations and modifications so made and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(2) The First Ordinances of the Universities of Kumaun and Garhwal and any other University to be established after the commencement of this Act shall be made by the State Government by notification in the Gazette.

[1][(2-A) Untill the First ordinances of the Purvanchal University are made under sub-section (2)

---

1. Inserted by U.P. Act No. 19 of 1987.

the ordinances of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification provide.]

(3) Save as otherwise provided in this section the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-section (1) and (2) :

Provided that no Ordinance shall be made—

(a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 45 for admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the academic council; or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University unless a draft of the same has been approved by the State Government

(4) The Executive-Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any

amendments which the Executive Council may suggest.

(5) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(6) The Chancellor may, at any time signifiy to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.

(7) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance, other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) shall be suspended until he has an opportunity of excercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

Regulations 53. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations–

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for, by this Act, the Statutes and the Ordinance.

(2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving

of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of proceedings of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the regulation accordingly.

Provided that any authority or body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.

(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

●

Chapter - X

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

Annual report

54. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and Court shall consider it in its annual meeting.

(2) The Court may, by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.

Accounts and audit

55. (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall, together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council, to the Court and the State Government.

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which is proposed to

include in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall, after considering the recommendations if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution, make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure–

(a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organisation or Foundation, save in accordance with the terms of such grant :

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 13, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding Rupees five thousand not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure :

[1][(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.]

1. Substituted by U.P. Act No. 1`2 of 1978. Originally sub-section (b) reads as follows—

Surcharge [1][55-A.

(i) An officer specified in any of the clause (c) to (i) of section (9) shall be liable to surcharge for the loss, waste or mis-application of any money or property of the University, if such loss, waste or mis-application is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of Surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or mis-application shall be such as may be prescribed.]

---

on any litigation in opposition to any order of the Chancellor purporting to be made under section 68.

1. Inserted by U.P. Act No. 12 of 1978.

[1]Chapter-XI

REGULATION OF DEGREE COLLEGES

56. In this Chapter, unless the context otherwise requires— **Definitions**

(a) 'property', in relation to an affiliated or associated college, includes all property, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles, if any and other things pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investments, and book debts and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind of the college;

(b) 'Salary' means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance for the time being payable to a teacher or other employee after making permissible deductions.

57. If the State Government receives information in respect of any affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority)— **Power of the State Government to issue notice**

1. This chapter shall not apply to the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya by ordinance dated 11 December, 1974.

(i) that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day, of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or

(ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statutes or Ordinances; [1][or has failed to comply with the orders of the Director of Education (Higher Education) made on the basis of the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act. 1980] or

(iii) that any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or

(iv) that its Management has persistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities as are necessary for the efficient administration of the college; or

(v) that its Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the college to the detriment of the college.

it may call upon the Management to show cause why an order under section 58 should not be made;

---

1. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19.9.1997)

Provided that where it is in dispute as to who are the office-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

58. (1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management under section 57 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may, by order authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over for such period not exceeding two years as may be specified, the management of the college and its property to the exclusion of the Management, and whenever the Authorised Controller so takes over the management, he shall, subject only to such restrictions as State Government may impose, have in relation to the management of the college and its property, all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section : **Authorised Controller**

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the college and its property, it may, from time to time extend the operation of the order, for such period, not exceeding one year at a time as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order this sub-section does not exceed [five years][1]

[2][Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Management of the college, the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted.]

1. Substituted by U.P. Act No. 4 of 1983, originally the word 'four' with effect from 25.6.82.
2. Ibid. Substituted with effect from 25.6.82.

Provided further that the State Government may at any time revoke an order made under this sub-section.

(2) Where the State Government, while issuing a notice under section 57 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed :

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over of the Management in pursuance of such order :

Provided further that in computation of the said period of six months, the time during which the operation of the order was suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution or any period during which the Management failed to show cause in pursuance of the notice under section 57, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1), shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any immovable property belonging to college (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the college from the college from the State Government or the Government of India).

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any

instrument relating to the management and control of the college or its property :

Provided that the property of the college and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

(5) The Director of Education (Higher Education) may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the college or its property and any Authorised Controller shall carry out those directions.

Clause58 not applied to minority colleges

59. Nothing contained in section 58, shall apply to a college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

Duty to deliver possession to the Authorised Controller

60. (1) Where an order has been passed under section 58 in respect of a college, every person in whose possession or custody or under whose control any property of the college may be, shall deliver the property to the Authorised Controller forthwith.

(2) Any person who on the date of such order has in his possession or under his control any books or other documents relating to the college or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller and shall deliver them up to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.

(3) The Authorised Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the college or its property or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such college or property and in particular may use or cause to be used such force as may be necessary.

●

Chapter - XI A[1]

PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGE

Definitions

60 A. In this Chapter, unless the context otherwise requires—

(i) College means any college affiliated to or recognised by any University in accordance with the provision of this Act or the statutes made thereunder and for the time being receiving maintenance grant from the State Government (but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a [Nagar Mahapalika][2]

(ii) 'Deputy Director' means the Regional Deputy Director of Education and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Chapter;

(iii) 'employee', in relation to a college, means a non-teaching employee of such college :

(a) in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75; or

(b) who was appointed to a post with the permission of the Director of Education (Higher Education);

1. Chapter XI-A inserted by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Words 'local authority' substituted by 'Nagar Mahapalika' by U.P. Act No. 15 of 1980 with effect from 26.9.1979.

(iv) 'maintenance grant' means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college;

(v) salary shall have the meaning assigned to it, in clause (b) of secton 56;

'teacher' in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75, or who is employed with the approval of the Vice-Chancellor of the University concerned—

(a) to a post created, before April 1, 1975, with the permission of the Vice-Chancellor concerned; or

(b) to a post created, after March 31, 1975 with the permission of the Director of Education (Higher Education)

Payment of salary within time and without unauthorised deduction

60-B. (1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any college in respect of any period after the 31st day of March, 1975, shall be paid to him before the expiry of the 20th day or such earlier day as the State Government may, by general or the month in behalf, appoint, of the month next following special order in that respect of which or any part of which it is payable.

(2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by this Act, the Statutes or the Ordinances, or by any other law for the time being in force.

Power to inspect

(60 C.)

(1) The Deputy Director may at any time, for the purposes of this Chapter inspect or cause to be inspected, any college or call for such information and records, (including registers, books of account and vouchers) from its management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Every direction for retrenchment under sub-section (1) shall be issued after obtaining the prior approval of the Director of Education (Higher Education) and shall specify a future date on which retrenchment shall become operative.

(3) Where any direction for retrenchment is issued in accordance with sub-section (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant payable under this Chapter.

Supernumerary post of teachers

[1](60 CC.)

The Vice-Chancellor may with the prior approval of the State Government create any supernumerary post with a view to enabling a teacher who is for the time being holding responsible position of a national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignment to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of

1. Inserted by U.P. Act No. 5 of 1977.

his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with the statutes.

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the college for the period of such assignment.

(60-D.) **Procedure for payment of salary in case of certain colleges**

(1) The management of every college shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employee open in a scheduled bank or a co-operative bank or post office, a separate account (thereinafter in this Chapter called Salary Payment Account) to be opreated jointly by a representative of the management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf :

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under section 60-H satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank that the account shall be operated by the representative of the management alone and may at any time revoke such instruction.

Provided further that in the case referred to in sub-section (3), or where in any other case after giving to the management an opportunity of showing cause, the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself, or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the Management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, such portion, of the amount received from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, and by such date as may be specified in that order, and thereupon, the Management shall be bound to comply with such direction.

(3) Where the Deputy Director is of opinion that the Management has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Deputy Director may, by order prohibit the management from realising any fees from the students and thereupon, the Deputy Director may realise the fees either through the teachers of the college or in such other manner as he thinks fit directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the Salary Payment Account.

(4) The State Government shall also pay into the Salary Payment Account such amount as maintenance grant, which after taking into consideration the amounts deposited under sub-section (2) and (3); is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) No money credited to the Salary Payment Account shall be applied for any purpose except the following namely—

(a) for payment of salary to the teachers and other employees of the college falling due for any period after March 31, 1975;

(b) for crediting the Management's contribution, if any to the provident fund accounts of teachers and employees of the college concerned.

(6) The salary of teachers or employees shall be paid by transfer of the amount from the Salary Payment Account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

60 E. **Liability in respect of Salary**

(1) [1]The State Government shall be liable for payment of salaries against such posts of teachers and employees of every such college that was taken in grant-in-aid list by the State Government on or after March 31, 1975;

Provided firstly that the Director of Higher Education or an officer authorized by him to sanction grant-in-aid to the college has paid the salary against such posts within one year after the college was taken in grant-in-aid list :

Provided secondly that the posts in a grant-in-aid college which were created after the college was taken in grant-in-aid list with the permission of the Director, Higher Education or by the State Government and were duly filled with the approval of the Director of Higher Education or an officer authorized by him after March 31, 1975 :

Provided thirdly that the State Government shall not be liable for payment of salaries of teachers and employees of a college where permission to create posts was granted by the Director of Higher Education or by the State Government on the condition that the management of the respective college shall bear the liability of payment of salary against the posts so

1. Subst. by U.P. Act 1 of 2004 (w.e.f. 11.7.2003).

created :

Provided fourthly that the colleges in which affiliation for certain number of subjects of undergraduate and post graduate courses has been accorded by the Chancellor under self-financing scheme, the State Government shall not be liable to pay salary of teachers and employees appointed in connection with imparting instruction in such course.

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability is incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the college as if that amount were an arrear of land revenue due from such college.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the college for any such dues to the teacher or employee.

Punishment, penalties and procedure

60-F.

(1) If any default is committed in complying with any direction under section 60 C, or with the provisions of section 60 B or Secton 60 D, every person who at the time, the default was committed was Manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the college shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 60 B with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no Police Officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No Court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

Finality of orders

60-G. No order made or direction given by the State Government, the Director of Education (Higher Education) the Deputy Director or other Officer in exercise of any power conferred by or under this Chapter shall be called in question in any court.

Rule-making power

60-H.

(1) The State Government may by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) All rules made under this Chapter shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the official Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

●

Chapter - XII

PENALTIES AND PROCEDURE

Penalties

61. (1) Whoever contravenes the provisions of section 46 shall on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

(2) Any person who—

(a) having in his possession, custody or control any property of a college in respect of which an order has been made under section 58 wrongfully withholds such property from the Authorised Controller appointed under that section or from any person authorised by him in that behalf, or

(b) wrongfully obtains possession of any property of such college; or

(c) wilfully withholds or fails to furnish to the Authorised Controller or any person specified by him as required by sub-section (2) of section 60 any books or other documents which may be in his possession, custody or control; or

(d) wilfully obstructs any person from duly carrying out all or any of the provisions of this Act;

shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both :

Provided that the Court trying any offence under clause (a) or clause (b) of this sub-section may, at the time of convicting the accused person, order him to

deliver up or refund within a time to be fixed by the Court any property wrongfully withheld or wrongfully obtained or any book or other document wilfully withheld.

Cognizance by Courts

62. No court shall take cognizance of an offence punishable under section 61 except with the previous sanction of the Director of Education (Higher Education).

Offence by registered societies

63. (1) If the person committing the offence under section 61 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society as well as every person in charge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

●

Chapter XIII

MISCELLANEOUS

Manner of appointment of officers and members of authorities

64. (1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes, officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications, the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where provision for an election is made in the Statutes it shall be held in such manner as Statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

Filling of casual vacancies

65. (1) Any casual vacancy among the members, other than ex-officio members of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person who is a member of an authority of the University as a representative of another body,

whether of the University or outside shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body [1][× × × ×]

Proceeding not to be invalidated by vacancies etc.

66. No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or

(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so, or.

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as members thereof, or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

66.A. [2][The State government may issue such directions from time to time to a University on policy matters, not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary and such directions shall be complied with by the University.

Removal from membership of the University

67. The Court may by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University.

1. Words 'and thereafter till his successor is duly appointed' omitted by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19.9.1997).
2. Introduced by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 21.1.2000)

Reference to the Chancellor

68. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University [1][including any question as to the validity of a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor] is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final :

Provided that no reference under this section shall be made—

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved :

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances—

(a) Act suo moto or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election and the eligibilty of the person so elected is in doubt, pass such orders of stay, as he thinks just and expedient;

(c) [2][× × × ×]

---

1. Inserted by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977. Originally sub-section (c) reads as follows—
   'Review any decision made by him earlier under this section'.

Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management

68. A. [1][(1) Where a decision of the Management of an affiliated or associated college to dismiss, remove or to reduce a teacher in rank or to punish him in any other manner or to terminate his services, has not been approved by the Vice-Chancellor or where an order of suspension of such teacher has been stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act or of an Act repealed by Section 74, and the management has committed default in paying the salary of such teacher which became due to him in consequence of the Vice-Chancellor's order, the Vice-Chancellor may pass an order, requiring the management to pay the amount of salary as may be specified in the order and during the period of suspension, may also require the management to pay the suspension allowance at the rate of one-half of the salary payable, if the said amount has not been paid.

(2) In any such case as is referred to in sub-section (1), the Vice-Chancellor may also order re-instatement of the teacher concerned subject to such terms and conditions as he thinks fit.

(3) The amount of salary or suspension allowance required to be paid under an order of the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall on a certificate issued by him to the effect, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

(4) Every order of the Vice-Chancellor under sub-section (2) shall be executable by the lowest civil court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that court.

(5) No suit shall lie against any management or teacher in respect of any matter for which a relief can be granted by the Vice-Chancellor under this Section]

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

Bar of suit

69. All Acts and Orders duly and in good faith done or passed by the University or any of its officers, authorities or bodies shall except as provided in this Act, be final, and no suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Education (Higher Education) or the Authorised Controller or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder.

Mode of proof of University record

70.(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

●

Chapter-XIV

TRANSITORY PROVISIONS

Continuation of existing Officers of University

71. Subject to the provisions of this Act, every person holding office as an officer of an existing University on the date immediately before the commencement of this Act, shall continue to hold office on the same terms and conditions until the expiration of his term of office.

Constitution of authorities

72. (1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act, and every person holding office as a member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on [1][the date of such commencement cease to be such member].

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order direct from time to time by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act by any authority of University shall be exercised or discharged :

Provided that no such direction shall be issued after [2][December 31, 1981].

(3) The Administrative Committees and the Academic Committees constituted, in pursuance of sub-section (2) of section 67 of the Uttar Pradesh State

1. Substituted by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Substituted by U.P. Act No. 15 of 1980.

University Ordinance, 1973, shall, on the 15th September, 1973 stand dissolved except as respects things done or omitted to be done by such Committees before that date, but nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the State Government from taking, as from that date, such action under sub-section (2) as it thinks fit.

Transitory provisions regarding Kashi Vidyapith :

[1][(72 A)

Notwithstanding anything contained in this Act—

(a) every person holding office as an officer (other than the Chancellor) of the Kashi Vidyapith on the date immediately before its establishment as a University, shall continue to hold office as such on the same terms and conditions except as respect tenure as he held on the said date until fresh appointments are made under clause (b),

(b) as soon as may be after the commencement of this section, the State Government may appoint interim officers of the said University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the said University in such manner as it thinks fit, upon which the corresponding officers referred to in clause (a) shall cease to hold office and the corresponding authorities, shall stand dissolved forthwith;

[2][(c) the officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (b) shall hold office up to [3][December 31, 1981], or until the

1. Inserted by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Substituted by U.P. Act No. 12 of 1978.
3. Substituted by U.P. Act No. 15 of 1980 originally the figure was 1978.

appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (d) whichever be earlier;

(d) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the said University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (e)]

[1][72 B. **Transitory Provisions on change of name of Garhwal University**

With effect from April 25, 1989 any reference to the University of Garhwal in this Act or any rules. Statutes, Ordinances, Statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings, shall be construed as a reference to the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University.]

[2][72 C. **Transitory provisions on change of name of University of Meerut**

With effect from January 17, 1994 any reference to the University of Meerut in this Act, or any rules, Statutes, Ordinances, Statutory instruments or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings shall be construed as a reference to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut.]

[3][72 D. **Transitory Provisions on the change of the name of the University of Avadh.**

[(1)][4] With effect from June 18, 1994 any reference to the University of Avadh in this Act or any

1. Ins. by U.P. Education Law Amendment Act 1989 (U.P. Act No. 26 of 1989) (w.e.f. 24.4.1989).
2. Ins. by U.P. Act 5 of1994 (w.e.f. 17.1.1994.)
3. Ins. by U.P. Act 20 of 1994 (w.e.f. 18.6.1994).
4. Renumbered by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.19950).

rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Dr. Ram Manohar Lohia University, Faizabad.]

[1][(2) with effect from July 11, 1995 any reference to the University of Avadh, or Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad, in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad.]

Transitory provisions on the change of the name of the Kashi Vidyapith

[2][**72 E.**

With effect from July 11, 1995 any reference to the Kashi Vidyapith in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.]

Transitory provisions on the change of the names of the Universities of Agra and Kanpur

[3][**72 F.**

[4][(1)] with effect from September 24, 1995 any reference to the University of Agra and Kanpur University in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force in any document of proceedings shall be construed as a reference to Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra and Shahuji Maharaj University, Kanpur respectively.]

---

1. Renumbered by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.19950).
2. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).
3. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).
4. Ins. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

[1][(2) with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act 1997, any reference to the Kanpur University, or to Shri Shahuji Maharaj University, Kanpur in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur.]

[2][**72 G.**

Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand

With effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Act, 1997 any reference to the University of Gorakhpur and the University of Rohilkhand in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly respectively.]

[3][**72 H.**

Transitory provision on the change of the name of the Purvanchal University

With effect from the date of the commencement of the [4]Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999 any reference to the Purvanchal University in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any document or

---

1. Renumbered as sub-section (1) by U.P. Act 12 of 1997 (w.e.f. 12.8.1997).
2. Ins. by U.P. Act 12 of 1997 (w.e.f. 12.8.1997).
3. Ins. by U.P. Act 18 of 1997.
4. Ins. by U.P. Act 11 of 199 (w.e.f. 8.1.1999).

proceeding shall be construed as a reference to Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.]

Power to remove difficulties

73. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by section 74 to the provisions of this Act, by order published in Official Gazette, direct that the provisions of this Act, shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient;

[1][Provided that no such order shall be made after December 31, [2][1982].]

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Repeal of certain enactments

74. (1) The following enactments are hereby repealed, with effect from the respective dates on which this Act is brought into force in relation to the existing University concerned, namely—

(a) the Lucknow University Act, 1920;

(b) the Allahabad University Act, 1921;

---

1. Substituted by U.P. Act No. 5 of 1997 and U.P. Act No. 12 of 1978.
2. 1978 Substituted by 1981 with effect from 1.1.1979 by U.P. Act No. 15 of 1980; '1981' Substituted by 1982 with effect from 29.12.81 by U.P. Act No. 25 of 1982.

(c) the Agra University Act, 1926;

(d) the Gorakhpur University Act 1956;

(e) the Varanaseya Sanskrit Vishwa-vidyalaya Act, 1956; and

(f) the Kanpur and Meerut University Act, 1965.

[1][(2) Notwithstanding such repeal—

(a) all appointments made, orders issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred,granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act :

(b) all proceedings of Selection Committees which took place before the commencement of this Act and all actions by the Management or by the Executive Council, as the case may be, in respect of the recommendation of such Selection Committees, where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall, notwithstanding the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement.]

1. Substituted by U.P. Act 12 of 1975, and be deemed always to have been substituted.

(3) Notwithstanding anything in sub-section (1) and (2) or in any other provisions of this Act—

(a) [1][× × × ×];

(b) [2][× × × ×]

(c) where any institution has applied for affiliation to the University of Agra in accordance with provisions of the Agra University Act, 1926, before June 18, 1973 and such application was pending on the said date and the place where the institution is situated lies under this Act outside the area of the University, Agra such application may be disposed of by the competent authorities of the University of Agra as if the institutions would be affiliated to that University, and upon the grant of such application by the Chancellor the institution would stand affiliated to the University within whose territorial jusrisdiction as specified in Section 5, the institution would lie;

(d) until fresh panels of experts are drawn up under sub-section (5) of Section 31 the Chancellor the Vice-Chancellor as the case may be, may nominate experts to a Selection Committee under that section from out of the panels in existence immediately before the commencement of this Act :

[3][Provided that the provisions of Explanations I and II to the said sub-section (5) shall apply also to the panels of experts referred to in this clause and to nominations made from such panels under this clause;]

---

1. *Omitted* by U.P. Act 29 of 1974.
2. *Omitted* by U.P. Act 5 of 1977.
3. Ins. by U.P. Act 21 of 1975, and shall be deemed always to have been inserted.

(e) until a Finance Officer is appointed in a University, the functions of the Finance Officer under this Act shall be performed by a Dean of Faculty nominated by the Chancellor in that behalf;

(f) until rules are made under Section 17, vacancy in a post of Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar may be filled on a provisional basis by the Chancellor in the case of the post of Registrar and by the Vice-Chancellor in the case of the post of Deputy Registrar or Assitant Registrar;

[1][(g) every student of the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, or the Government Degree College, Jakhni situated in district Varanasi, or the Government Degree College, Rishikesh, situated in district Dehra Dun, who—

(1) immediately before the commencement of Uttar Pradesh State University Ordinance, 1973, was studying for a degree of the University of Agra; or

(2) was admitted as a student of any of the said colleges during the academic year 1973-74 for a degree of the said University; or

(3) is eligible to appear at any degree examination of the said University in the year 1974 or in the year 1975 [2][or in the year 1976] as an ex-student; shall be permitted to complete his course in accordance with the syllabus of the University of Agra, and necessary arrangements of the instruction and examination of such students shall be made by the University of Agra and on the results of such examination the degree may be conferred by that very University;

1. Ins. by U.P. Act 29 of 1974.
2. Ins. by U.P. Act 25 of 1975.

(h) until the Faculties are constituted in the Universities referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) of Section 4, the Selection Committee referred to in clause (c) of sub-section (4) of Section 31 shall consist of the following members namely—

(1) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

(2) one member of the Management nominated by the Management; and

(3) three experts to be nominated by the Vice-Chancellor;]

[1][(i) every person residing within the area of the University of Gorakhpur who was permitted by the Agra University to appear in B.A. Part-I or M.A. Part-I Examination of 1974 from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the University of Agra to appear in the B.A. Part-II or M.A., Part-II Examination, as the case may be, of the said University from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre, during the academic years 1974-75 and 1975-76 and on the result of such examination the degree may be conferred by that very University, and such examination shall be deemed to be valid;

(j) any person residing within the area of the University of Allahabad or the University of Lucknow may be permitted by the University of Kanpur (hereinafter in this clause referred to as the said

1. Ins. by U.P. Act 5 of 1977, and shall be deemed always to have been inserted.

University) to appear in an examination referred to in clause (5) of Section 7, and on the result of such examination a degree may be conferred by the said University notwithstanding that such person was not residing within the area of the said University.]

*(4) (a) During the period ending March 2, 1989 the Management of the Ayurvedic College referred to in the proviso to sub-section (4) of section 5 together with,

(i) any Hospital, Dispensary, Laboratory, Pharmacy, Lecture Room or Museum and any Equipment, Stores, Drugs, Usuries and other assets pertaining thereto shall continue to vest in the State Government, and all such properties and assets shall continue to be utilised for the purposes for which they were utilised or intended to be utilised;

(ii) all Land, Buildings, Furnitures, Fittings, Fixtures and other assets of the University which immediately before the commencement of the sub-section were wholly or partly used for purposes of the said college shall continue to be so used for the said purposes;

(iii) all disciplinary powers (which shall be deemed to include the power to terminate or suspend any contract of service) in relation to the whole-time employees of the University employed immediately before the commencement of this sub-section in connection with the affairs of the said college and the power to appoint new employees in connection with the affairs of the said college shall continue to vest in the state Government or any person specified by it in substitution for the University or its officers or authorities.

---

* Ins. by ordinance, dated December 11, 1974.

(b) If for purposes of sub-clause (iii) of clause (a), any question arises as to whether any person was an employee of the University employed in connection with the affairs of the said college before March 2, 1972, it shall be decided by the State Government whose decision shall be final.

75. Amendment of U.P. Act XXIV of 1965—In Section 3 of the Uttar Pradesh Universities(Provisions regarding Conduct of Examinations) Act 1965, for the words 'two months' the words 'six months' shall be substituted.

76. Repeal and Savings—(1) The Uttar Pradesh State University Ordinance, 1973 (U.P. Ordinance 1 of 1973), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 72, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 18th day of June, 1973.

●

THE SCHEDULE
(See Section 5)

Serial	*Name of the University*	*Areas within which the University shall Exercise Jurisdiction*
1.	The University of Lucknow	Area within a radius of sixteen kilometres from the Convocation Hall of the University.
2.	The University of Allahabad	Area within a radius of sixteen kilometres from the Convocation Hall of the University.
[1][3.	The [2][Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra]	
	(i) until the establishment of the University of Rohilkhand	Districts of Agra, Aligarh, Bareilly, Bijnor, Badaun, Etah, Mainpuri, Mathura, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.
	(ii) upon the establishment of the University of Rohilkhand.	Districts of Agra, Aligarh, Etah, Mainpuri and Mathura.
[3][4.	*[Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur]	
	(i) Until the establishment of the Purvanchal University	Districts of Azamgarh, Ballia, Basti, Deoria, Ghazipur, Gorakhpur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi.

1. Entries 3 gto 11 subs. by Act 29 of 1974.
2. Subs. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 23.9.1995).
3. Subs. by U.P. Act 19 of 1987.
* Subs. by U.P. Act 18 of 1997 (w.e.f. 16.8.1997) for the words 'The University of Gorakhpur'.

	(ii) Upon the establishment of the Purvanchal University	Districts of Basti, Deoria and Gorakhpur]
[1][5.	**[Chhatrapati]* Shahu Ji Maharaj University, Kanpur]	
	(i) until the establishment of the Universities of Bundelkhand and Avadh	Districts of Allahabad, Banda, Barabanki, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpurkheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur, and Unnao, excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
	(ii) Upon the establishment of the University of Avadh, but until the establishment of the University of Bundelkhand	Districts of Allahabad, Banda, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hamirpur, Hardoi, Jalaun, Jhansi, Kanpur, Lakhimpurkheri, Lalitpur, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur, and Unnao excepting the area which lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow.
	(iii) upon the establishment of the University of Avadh and also the University of Bundelkhand	Disctricts of Allahabad, Etawah Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kanpur, Lakhimpur Kheri, Lucknow, Rae Bareli, Sitapur and Unnao, excepting the area which

1. Subs. by U.P. Act 21 of 1975.

** Subs. by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 23.9.1995).

* Subs. by 'Shri' by U.P. Act 12 of 1997.

		lies within the limits of the Universities of Allahabad and Lucknow]
6.	*[Chaudhary Charan Singh University, Meerut.]	Districts of Bulandshahar, Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur.
7.	The University of Kumaun	Districts of Almora, Naini Tal and Pithoragarh.
8.	**[Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University]	Districts of Chamoli. Dehra Dun, Garhwal, Tehri-Garhwal and Uttar Kashi.
9.	The University of Bundelkhand	Districts of Banda, Hamirpur, Jalaun, Jhansi and Lalitpur.
10.	***[Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad]	Districts of Bahraich, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh and Sultanpur.
11.	*[Mahatma Jyotibha Phule Rohilkhand University, Bareilly]	Districts of Badaun, Bareilly, Bijnor, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur.]
[1][12.	**[Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur]	Districts of Azamgarh, Ballia, Ghazipur, Jaunpur, Mirzapur and Varanasi.]

* Subs. by U.P. Act 5 of 1994 (w.e.f. 17.1.1994).

** Subs. by U.P. Act 26 of 1989 (w.e.f. 24.4. 1989).

*** Subs by President's Act 4 of 1996 (w.e.f. 11.7.1995).

* Subs. by U.P. Act 18 of 1997 (w.e.f. 16.8.1997) words 'The University of Rohilkhand'.

** Subs. by U.P. Act 11 of 1999 (w.e.f. 8.1.1999) for the words 'The Purvanchal University'.

1. Ins. by U.P. Act 19 of 1987.

The Uttar Pradesh State Universities

(Validation of Appointments), Act, 1984

[U.P. Act No. 18 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to validate certain appointment, made in the State University.

It is hereby enacted in the thirty-fifth year of the Republic of India as follows—

1. Short title and commencement—

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 1984.

Validation of appointments—

Notwithstanding any Judgement, decree or order of any court or order of any officer or authority or anything contained in the Uttar Pradesh State University Act, 1973 or statutes framed thereunder, the appointment of every teacher made in any University governed by the said act or in any affiliated or associated college thereof during the period July1, 1978 and the date of commencement of this Act, in excess of the number of posts advertised, shall be and be deemed always to have been valid and validity of such appointments shall not be called in question before any court, tribunal, officer or authority merely on the ground that the post was not separately advertised or that the prescribed procedure was not followed.

3. Repeal and Savings—

(1) The Uttar Pradesh State Universities (validation of Appointment ordinance 1984 (U.P. ordinance No. 16 of 1974) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the ordinance referred to in Sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

---

1. Received the assent of the Governor on September 29, 1984 and published in U.P. Gazette, extra, dated 1st October, 1984.

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ इस प्रकाशन में सन् २००५ तक यथा-संशोधित रूप में मुद्रित है।

अधिनियम जिस रूप में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय पर लागू है, वह प्रथम रूल के ऊपर दिया गया है। अधिनियम का वह अंश, जो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय पर लागू नहीं है; किन्तु प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू है, प्रथम रूल के नीचे और द्वितीय रूल से ऊपर दिया गया है।

कुलसचिव

निदर्शिका के विक्रय के नियम

सभी संस्थाओं, पुस्तकालयों, सरकारी विभागों, सामान्य-ग्राहकों, पुस्तक-विक्रेताओं, छात्रों एवं अध्यापकों आदि को एक साथ एक बिल पर निदर्शिका के क्रय पर निम्नलिखित प्रकार से छूट दी जायेगी :—

प्रतियों की संख्या	देय छूट (कमीशन) प्रतिशत में
१ प्रति	५%
२ से १० प्रतियों तक	१५%
११ से अधिक पर	२०%